20 अप्रेल, 2022 ❊ वर्ष 31, पृष्ठ संख्या, 60, अंक-4

राजस्थान सुजस

शासन सहभागिता

पंचायती राज विशेषांक

(राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 24 अप्रेल)

शासन विकेन्द्रीकरण

सुदृढ़ पंचायत सशक्त प्रदेश

ग्राम स्वराज और सुशासन

चारागाह विकास

पेयजल व्यवस्था

ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन

समावेशी विकास

त्रि-स्तरीय व्यवस्था

महात्मा गांधी नरेगा कार्य

गणगौर की सवारी

सुहागनों और कुमारियों के पर्व गणगौर पर रियासतकाल से ही जयपुर और इससे जुड़े ठिकानों में माता की सवारी निकलती आ रही है। तब साहसी युवक घोड़ों को दौड़ाने के लिए मैदान में आ डटते थे। इसे देखने पुरुष,महिलाएं और बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। तब से यह कहावत मशहूर हो गई कि ''घोड़ा गणगौरयां ने नहीं दौड्या तो कद दौड़ेला।''

जयपुर में गणगौरी दरवाजे से गणगौर माता की सवारी चौगान में पहुंचती तब चीनी की बुर्ज से महाराजा और मोती बुर्ज के जालीदार झरोखों से जनाना महलों की रानियां सवारी का दर्शन कर घुड़दौड़ देखतीं। रिसाला के घोड़ों की दौड़, बंदूकधारी सैनिकों का माता को ''गार्ड ऑफ ऑनर'', नाहरगढ़ से तोप गर्जना, हाथियों की रोमांचक लड़ाई जैसे आयोजनों के साथ सवाई रामसिंह द्वितीय के समय गणगौर पर सजे धजे ऊंटों की दौड़ होती थी। सोलह दिन तक गणगौर पूजने वाली महिलाएं गीत गाती साथ चलती। गणगौर पर जनानी ड्योढ़ी के लोग लाल पोशाक में सज्जित हो गणगौर के साथ चलते। दरबारियों की पोशाक लाल रंग की होती है। पोंडरीक उद्यान की छतरी में विराजमान गणगौर माता को घेवर का भोग लगता और तालकटोरा सरोवर का जल पिलाया जाता। गणगौर पर ईसर–गौरी की पूजा का विधान है।

आलेख: जितेन्द्र सिंह शेखावत
सभी छाया चित्र: राजेन्द्र शर्मा

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

•

संपादक
अलका सक्सेना

•

सह-संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

•

उप-संपादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

•

कला
विनोद कुमार शर्मा

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 94136-24352
e-mail :
publication.dipr@rajasthan.gov.in
editorsujas@gmail.com
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 31 अंक : 04 | अप्रेल, 2022

इस अंक में

सम्पादकीय	04
116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर...	09
नवाचारों से संवरता...	12
पंचायती राज के मूल में गांधीजी की प्रेरणा	14
साक्षात्कार	16
बातचीत	19
प्रदेश में ई-गवर्नेंस का सपना...	24
जवानपुरा राष्ट्रीय स्तर पर...	26
पहला गांव जो बना सेफ विलेज	28
ग्राम पंचायत ने लिखी विकास की इबारत	29
भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर	41
जाना-अनजाना राजस्थान	42
पश्चिमी राजस्थान का अनूठा...	44
महिला सशक्तीकरण	48
चुप्पी तोड़ो-सयानी बनो अभियान	49
दिव्यांग सम्बलन	50
मधुसखी झालावाड़ी शहद	51
हर भोर ग्रहों का जोर	52
मेले-उत्सव	54
धर्म तालाब का बदला स्वरूप	56
डाकिए की बदलती भूमिका	57
समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा	58
धरोहर	59
तब और अब	60

स्वच्छ पेयजल की तैयारी...

05

राजस्थान की गौरवमयी गाथा

21

ई-नाम योजना

38

राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस

30-31

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

पंचायती राज का शुभारम्भ

15

खेत से खलिहान, खुशहाल किसान

34

चूरू का झींगा

46

गांव की उन्नति, प्रदेश की प्रगति...

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और देश के विकास का रास्ता भी वहीं से होकर गुजरता है। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से ही 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का आगाज किया गया था। 24 अप्रेल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के अवसर पर हर वर्ष मनाए जाने वाला ''राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस'' पूरे राष्ट्र का ध्यान राजस्थान की ओर खींचता है।

प्रदेश ने न केवल पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्वराज की अवधारणा देशभर को दी बल्कि विगत दशकों में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाकर इसके उच्च मानक भी निर्धारित किए हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि का यह उपक्रम गांवों की खुशहाली का आधार बना हुआ है।

महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त और ग्रामोदय जैसे आदर्शों से एकाकार होने के कारण पंचायती राज प्रशासन की शुचिता, प्राकृतिक न्याय और शक्ति संतुलन का भी अनुपम माध्यम है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं, उनके कार्यों, नवाचारों और इसके जरिए ग्राम्य जीवन को सुगम बनाने के प्रयासों को उद्घाटित करता ''राजस्थान सुजस'' का अप्रेल माह का ''पंचायती राज'' पर आधारित अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

भारतीय ज्ञान परम्परा में ऋषि और कृषि का विशेष महत्त्व रहा है। एक अभूतपूर्व कृषि बजट के बाद रबी की फसल कटाई के साथ प्रदेश के किसानों के खलिहानों में फसल पहुंच चुकी है। प्रस्तुत अंक में किसानों के जीवन में आए इन सकारात्मक बदलावों की झलक दी गई है। प्रधान संपादक के रूप में आप तक आसन्न ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के जन-जन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की तैयारी जैसे सामयिक, ज्ञान विज्ञान से जुड़े कॉलम में रात्रि आकाश में ग्रहों की चहलकदमी जैसी रोचक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी जानकारी पहुंचाने के इस अनुष्ठान में हम सतत प्रयत्नशील हैं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं प्रतिक्रियाओं का सदैव की भांति स्वागत है।

अभिवादन एवं मंगलकामनाओं सहित

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक

गर्मियों में जन-जन तक स्वच्छ पेयजल की तैयारी

राज्य सरकार ने गर्मियों के मौसम में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनता को निर्बाध एवं नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए व्यापक बंदोबस्त किए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा और मार्गदर्शन में जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) की टीम ग्रीष्मकाल में जन-जन तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की अग्रिम तैयारियां सम्पादित करने के बाद इन दिनों लोगों को राहत प्रदान करने में सजगता से जुटी है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पीएचईडी के अधिकारियों तथा सभी जिलों में कलक्टर्स को प्रदेश में सुचारू जलापूर्ति के लिए उपलब्ध जल संसाधनों के व्यवस्थित प्रबंधन, कंटीजेंसी प्लान के तहत आवश्यक स्वीकृतियां जारी कर समय पर कार्य कराने, हैण्डपंप एवं नलकूप मरम्मत के कार्यों को अभियान के रूप में पूरा करने और आमजन की पेयजल संबंधी शिकायतों की सतत मॉनिटरिंग कर उनका संवेदनशीलता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश के आमजन की ग्रीष्मकाल में पेयजल आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में निर्धारित समय पर निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए पीएचईडी द्वारा पिछले दो-तीन माह में विशेष तैयारियां की गई हैं।

सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की राशि प्रदेश के सभी जिलों में पानी की सम्भावित अतिरिक्त मांग के मद्देनजर कंटीजेंसी प्लान के तहत आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कंटीजेंसी

मनमोहन हर्ष
उप निदेशक, जलदाय विभाग

प्लान के तहत स्वीकृत इस राशि का युक्तियुक्त उपयोग करने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में जिला कलक्टर्स के साथ समन्वय से कार्य करें, जिससे किसी भी आकस्मिक कार्य के लिए इस राशि का उपयोग कर मौके पर लोगों की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जा सके। जिला कलक्टर्स की अनुशंसा के अनुसार सभी जिलों में पीएचईडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं (एसीई) द्वारा कंटीजेंसी मद के कार्य आवश्यकतानुसार कराए जा रहे हैं।

जल परिवहन के लिए 11580 लाख रुपये मंजूर

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विशेष आवश्यकता वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन व्यवस्था पर 11580.59 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। अप्रैल 2022 से अगस्त 2022 की अवधि में जल परिवहन के लिए राज्य मद से ग्रामीण क्षेत्रों में 8669.30 लाख रुपये तथा शहरी इलाकों में 2911.29 लाख

बीसलपुर

सूरजपुरा फिल्टर प्लान्ट

रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दस जिलों चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर एवं डूंगरपुर के अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता मद के तहत जिला कलक्टर्स द्वारा जल परिवहन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

शहरी क्षेत्रों के लिए 2911 लाख रुपये स्वीकृत

शहरी क्षेत्रों में जल परिवहन के लिए 2911.29 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इनमें अजमेर जिले के लिए 92.40 लाख रुपये, नागौर के लिए 106.45 लाख रुपये, टोंक के लिए 30.27 लाख रुपये, अलवर के लिए 321.16 लाख रुपये, भरतपुर के लिए 74.78 लाख रुपये, धौलपुर के लिए 8.35 लाख रुपये, सवाईमाधोपुर के लिए 56.60 लाख रुपये, करौली के लिए 21 लाख रुपये, चूरू के लिए 91.30 लाख रुपये, बीकानेर के लिए 34.70 लाख रुपये, श्रीगंगानगर के लिए 43.57 लाख रुपये, हनुमानगढ़ के लिए 7.50 लाख रुपये, कोटा के लिए 102.75 लाख रुपये तथा बूंदी के लिए 52.14 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बारां के लिए 23.55 लाख रुपये, झालावाड़ के लिए 25.39 लाख, दौसा के लिए 335.88 लाख रुपये, झुंझुनू के लिए 84.63 लाख रुपये, सीकर के लिए 48.50 लाख रुपये, जयपुर शहर के लिए 332.10 लाख रुपये, जयपुर जिले के 7 कस्बों के लिए 320.60 लाख रुपये, जोधपुर रीजन-प्रथम में 12 कस्बों के लिए 166.19 लाख रुपये, जोधपुर रीजन-द्वितीय में सिरोही के लिए 120.21 लाख रुपये, बाड़मेर के लिए 194 लाख रुपये, जालौर के लिए 6.55 लाख रुपये, बांसवाड़ा के लिए 9.54 लाख रुपये, राजसमंद के लिए 90.08 लाख रुपये, चितौड़गढ़ के लिए 33.62 लाख रुपये, डूंगरपुर के लिए 7.39 लाख रुपये तथा प्रतापगढ़ के लिए 9.76 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8669.30 लाख रुपये स्वीकृत

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जल परिवहन के लिए 8669.30 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इनमें अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 385.48 लाख रुपये, भीलवाड़ा के लिए 193.56 लाख रुपये, नागौर के लिए 284.66 लाख रुपये, टोंक के लिए 30.27 लाख रुपये, बीकानेर के लिए 98.50 लाख रुपये, श्रीगंगानगर के लिए 80.95 लाख रुपये, हनुमानगढ़ के लिए 55.50 लाख रुपये, चूरू के लिए 143.41 लाख रुपये, भरतपुर के लिए 70.44 लाख रुपये, धौलपुर के लिए 137.31 लाख रुपये, करौली के

जयपुर बीसलपुर पाइपलाइन

लिए 228.53 लाख रुपये, सवाईमाधोपुर के लिए 90.21 लाख रुपये, अलवर के लिए 157.62 लाख रुपये, दौसा के लिए 223.91 लाख रुपये, झुंझुनूं के लिए 203.65 लाख रुपये तथा सीकर के लिए 192.75 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार जयपुर के लिए 646.84 लाख रुपये, जोधपुर के लिए 856.59 लाख रुपये, पाली के लिए 1177.42 लाख रुपये, बाड़मेर के लिए 571.50 लाख रुपये, जैसलमेर के लिए 443.96 लाख रुपये, जालौर के लिए 317.95 लाख रुपये, सिरोही के लिए 410.99 लाख रुपये, बारां के लिए 147.07 लाख रुपये, बूंदी के लिए 186.55 लाख रुपये, झालावाड़ के लिए 66.26 लाख रुपये, कोटा के लिए 110.12 लाख रुपये, बांसवाड़ा के लिए 88.06 लाख रुपये, राजसमंद के लिए 308.95 लाख रुपये, चितौड़गढ़ के लिए 276.95 लाख रुपये, डूंगरपुर के लिए 66.69 लाख रुपये, उदयपुर के लिए 256.85 लाख रुपये तथा प्रतापगढ़ के लिए 159.82 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

हर माह वरिष्ठ इंजीनियर्स की फील्ड विजिट

जनता को निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा जिलों में चल रही पेयजल परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभाग के राज्य मुख्यालय जल भवन से एक दर्जन से अधिक चीफ इंजीनियर्स एवं एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को अलग-अलग जिलों का प्रभारी बनाया गया है। इन अधिकारियों ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह से अपने दौरे आरम्भ कर दिए हैं। इनके द्वारा हैंड पंप रिपेयरिंग अभियान, जल परिवहन व्यवस्था, ट्यूबवेल एवं हैंडपंप की कमिश्निंग, लंबित विद्युत कनेक्शन, आरओ प्लांट्स, सोलर डीएफयू (डी-फ्लोरिडेशन यूनिट्स) और सोलर बोरवेल की समीक्षा जैसे महत्वूपर्ण बिन्दुओं पर फोकस किया जा रहा है। पीएचईडी के सभी रीजनल कार्यालयों के एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को भी अपने अधीन आने वाले जिलों में प्रति सप्ताह कम से कम एक जिले का दौरा करने और वहां पर रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। उनको संबंधित जिलों के कम से कम ऐसे दो गांव जहां पेयजल की समस्या हो, का दौरा कर वहां पेयजल सप्लाई का फीडबैक लेने के निर्देश हैं।

जल स्रोतों की जांच के लिए अभियान

प्रदेश में पेयजल आपूर्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल स्रोतों की सघन जांच का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें स्वच्छ जलाशयों, उच्च जलाशयों, जल भंडारण स्रोत, ट्यूबवेल एवं हैंडपम्प आदि के निरीक्षण के बाद आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

वाटर ट्रीट्मेंट प्लान्ट, बांसवाड़ा

गर्मियों के पूरे सीजन में जारी रहने वाले इस अभियान में जल स्रोतों के क्लोरीनेशन एवं डिसइंफेक्शन (कीटाणुशोधन) और निर्धारित नार्म्स के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं उपभोक्ताओं के यहां से पेयजल के नमूने लेकर उनकी प्रयोगशालाओं में जांच की कार्यवाही भी चलेगी। पेयजल वितरण तंत्र के लीकेजेज को दुरूस्त करने, भूतल जलाशय, स्वच्छ जलाशय एवं भंडारण स्रोतों की साफ-सफाई और रख-रखाव, ट्यबवेल एवं हैंडपम्प सहित अन्य जल स्रोतों से नमूने का विभागीय प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराने जैसे कार्य भी इस अभियान का अहम हिस्सा है।

जिला कलक्टर्स को मॉनिटरिंग का जिम्मा

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने एक परिपत्र जारी कर गर्मियों में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों में जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। सभी जिलों में ये कमेटियां जनता के लिए पेयजल की सम्भावित अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन करते हुए समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। सभी जिला कलक्टर्स को इस समिति की प्रति सप्ताह बैठक कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

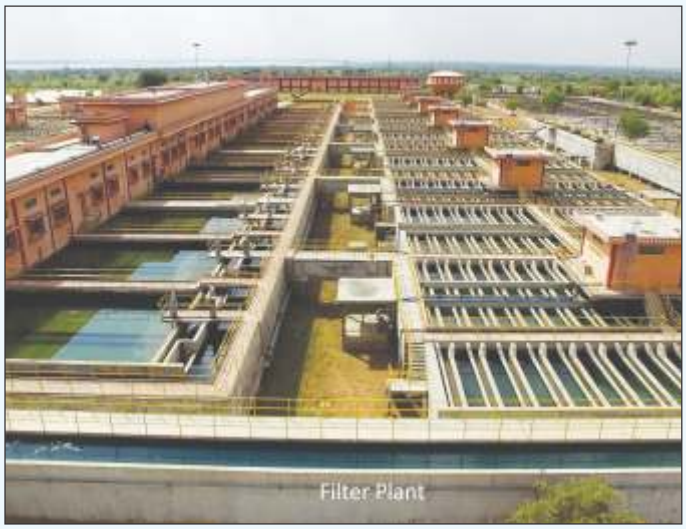

नियंत्रण कक्ष स्थापित

ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जयपुर में राज्य स्तरीय एवं सभी जिलों में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के किसी भी हिस्से में पेयजल आपूर्ति के बारे में किसी भी समस्या अथवा शिकायत के लिए इन कंट्रोल रूम में सम्पर्क किया जा सकता है।

राज्य स्तरीय केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष : 0141-2222585					
जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष					
चूरू	01562-250343	जयपुर	0141-2706624	जैसलमेर	02992-252321
बीकानेर	0151-2226454	अलवर	0144-2337900	जालौर	02973-222272
श्रीगंगानगर	0154-2445031	भरतपुर	05644-222731	सिरोही	02972-220131
हनुमानगढ़	01552-260553	धौलपुर	05642-220715	बाड़मेर	02982-220610
सीकर	01572-251153	करौली	07464-250219	पाली	02932-222678
दौसा	01427-294100	सवाईमाधोपुर	07462-220062	उदयपुर	0294-2940412
झुंझुनूं	01592-232636	टोंक	01432-247436	चितौड़गढ़	01472-240918
कोटा	0744-2501961	अजमेर	0145-2628489 0145-2621924	डूंगरपुर	02964-294422
बून्दी	0747-2456448	भीलवाड़ा	01482-294320	प्रतापगढ़	01478-222162 01478-222040
बांरा	07453-294754	नागौर	01582-240842	बांसवाड़ा	02962-242531
झालावाड़	07432-230454	जोधपुर	0291-2651711 (शहरी) 0291-2651745 (ग्रामीण)	राजसमंद	02952-223136

116 मीटर ऊंचे आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान से चिकित्सा क्षेत्र को मिलेगी नई बुलंदी

588 करोड़ की लागत से जयपुर में हो रहे हैं तैयार

राइट टू हैल्थ, स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा, हर गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयास

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढ़ांचा सूदृढ़ बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवाकर प्रदेश के हर परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। शामिल परिवारों को 5 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश के हर गांव-ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में 1 अप्रेल से ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवा दी गई हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती प्रदान किए जाने की इसी कड़ी में सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में 588 करोड़ की लागत से आईपीडी टावर एवं हृदय रोग संस्थान का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अप्रेल माह के प्रथम सप्ताह में सवाई मानसिंह अस्पताल में आईपीडी टावर एवं हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास किया गया है।

हेतप्रकाश व्यास
जनसम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा

ऐसे ही प्रयासों से प्रदेश में विश्व स्तरीय मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में भी मदद मिलेगी। करीब 116 मीटर ऊंचे इस टावर पर हैलीपेड भी होगा। इससे एक साथ 1200 बेड की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही 20 अपरेशन थियेटर, 4 कैथ लैब एवं 100 ओपीडीरजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ेंगे।

देश में अपनी तरह का यह पहला टावर होगा जहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दो चरणों में बनने वाला यह टावर आगामी 32 माह में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। एसएमएस अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या प्रतिदिन करीब 15 हजार है। ऐसे में यह टवर बनने बाद इलाज के लिए एसएमएस आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें समस्त सुविधाएं एक बिल्डिंग में उपलब्ध हो सकेंगी।

राज्य सरकार द्वारा जल्द ही राइट टू हैल्थ कानून लाकर सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किए जाने की भी मंशा जताई जा रही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

आईपीडी टावर में ये मिलेंगी सुविधाएं

यह टावर सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इमारत होगा। इसमें आम जनता के लिए एक थियेटर और प्रतीक्षालय कक्ष बनेगा। ग्राउंड फ्लोर पर फूड आउटलेट, रजिस्ट्रेशन काउंटर और फार्मेसी की सुविधा। टावर की पहली मंजिल पर संगोष्ठी कक्ष मेडिकल साइंस गैलरी एडमिन ब्लॉक। दूसरी मंजिल पर रेडियोलॉजी सेवा, डायग्नोस्टिक, एमआरआई, सीटी स्कैन, तीसरी मंजिल पर छह आईसीयू वार्ड और संबंधित सेवाएं होंगी। चौथी मंजिल पर पोस्ट और प्रीअपरेटिव वार्ड होगा। इस तरह सभी मंजिलों पर आवश्यकतानुसार कक्ष होंगे। इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन, लैब एरिया और वेटिंग एरिया के लिए प्रावधान, सामान्य बिस्तर, डीलक्स कमरा, फर्श पर प्राइवेट कमरे की सुविधा भी होगी। एसएमएस के प्रांगण में हृदय रोग संस्थान का भी निर्माण किया जा रहा है। इसमें हार्ट के सम्बन्धी आईपीडी, ओपीडी, आईसीयू एवं जांचे एवं कैथ लैब की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजस्थान की यह नई पहल देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। हैल्थकेयर में नर्सिंग कर्मियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और विकसित देशों में उनकी बड़ी मांग है। इसे देखते हुए कुशल चिकित्सकों के साथ-साथ अधिक से अधिक प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों को भी तैयार करना होगा।

डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, चेयरमैन, नारायणा हैल्थ

एसएमएस अस्पताल में प्रतिमाह करीब 700 एंजियोप्लास्टी होना दर्शाता है कि यह अस्पताल कितनी बड़ी संख्या में हृदय रोगियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर रहा है। हृदय रोग संस्थान के बनने के बाद देश के अन्य राज्यों से भी लोग यहां हार्ट सर्जरी कराने आएंगे।

डॉ. नरेश त्रेहन, सीएमडी, मेदान्ता हार्ट इंस्टीट्यूट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आईपीडी टावर के माध्यम से प्रदेशवासियों को वर्ल्ड क्लास हैल्थ केयर सुविधाएं प्रदान करने की जो परिकल्पना की है वह अद्भुत है। इससे एसएमएस अस्पताल की नई एवं अत्याधुनिक छवि दुनिया को दिखाई देगी और यह हॉस्पिटल मेडिकल सेक्टर में नवाचारों, टेली मेडिसिन, अनुसंधान, नर्सिंग एजुकेशन की कर्मभूमि के रूप में विकसित होगा।

डॉ. वीके पल, सदस्य, नीति आयोग

हैल्थ सेक्टर में किसी भी राज्य द्वारा की गई यह अभूतपूर्व पहल है। कोरोना महामारी के कारण बीते दो साल पूरी दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश को बढ़ावा मिले और आईपीडी टावर तथा हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास इसी दिशा में महत्वाकांक्षी प्रयास है।

डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स दिल्ली

हमें समर्पित भाव से कार्य करने वाले चिकित्सक तैयार करने होंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के साथ 5 लाख का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा राज्य सरकार का सराहनीय कदम है।

डॉ. एस.के सरीन, वीसी, आईएलबीएस, नई दिल्ली एवं लिवर रोग विशेषज्ञ

डॉक्टरों की याद में मेडिकोज मेमोरियल भी

कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टरों की याद में आईपीडी टावर में मेडिकोज मेमोरियल बनाया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चिकित्साकर्मियों के परिवारों का दर्द समझा। उन्होंने कोविड रोगियों की सेवा करते हुए अपनी जान गवाई सरकार ने ऐसे डॉक्टरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का फैसला किया है।

स्व. बैंसला का संघर्ष अविस्मरणीय

कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने गुर्जर समाज के लिए जो संघर्ष किया उसे यह समाज कभी भूल नहीं सकता। गुर्जर समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आज एमबीसी वर्ग में आरक्षण तथा देवनारायण योजना के रूप में जो लाभ मिल रहा है, यदि इसका एकमात्र श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो वे कर्नल बैंसला हैं। वे गरीबों, किसानों और कौम के लिए हमेशा चिंतित रहा करते थे। ऐसे शख्स का निधन बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुर्जर नेता स्व. कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को ऑफिसर्स कैम्पस स्थित उनके आवास पर पहुंचकर इन विचारों के साथ श्रद्धासुमन अर्पित किये और उनके शोक संतप्त परिजनों को ढाढ़स बंधाया।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना से

दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा सम्बल

राज्य के किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि करने के लिए दुग्ध उत्पादक संबल योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ में दूध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में दूध की आपूर्ति करने वाले सदस्यों को 1 अप्रेल, 2022 से दूध पर देय अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दी गयी है।

दूध की खरीद के अतिरिक्त मिलने वाले इस 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान से पशुपालक किसानों को आर्थिक सम्बल मिलेगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा इस योजना से अधिकाधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने माह के पहले सप्ताह जोधपुर सर्किट हाउस से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना की प्रचार-प्रसार वैन को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया।

दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सेवाभावी लोगों की भूमिका महत्त्वपूर्ण

राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए जामडोली में बाबा आम्टे के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने, पैरालिम्पिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 बीघा भूमि नि:शुल्क आवंटन करने सहित कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का मानना है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ जरूरतमन्दों तक पहुंचे इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सेवाभावी लोगों की सकारात्मक भूमिका आवश्यक हो जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रत्येक जरूरतमन्द तक पहुंचायी जानी चाहिए ताकि इनका लाभ लेकर वे स्वावलंबी बन सकें, यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी।

मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जोधपुर के रामबाग में भारत सेवा संस्थान एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय विशाल दिव्यांग शिविर कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को चश्मे, व्हीलचेयर्स, ट्राई साइकिल्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम हाथ-पैर, केलिपर्स, बैसाखी, छड़ी, ब्लाइंड स्टिक आदि सहायक उपकरण वितरित किए तथा जन कल्याणकारी योजनाओं पर केन्द्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर विशेष

नवाचारों से संवरता राजस्थान पुलिस का चेहरा

किसी भी राज्य के विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है उसकी मजबूत कानून-व्यवस्था। यह संतोष का विषय है कि राजस्थान बेहतर कानून-व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की हर पीड़ित को न्याय और पब्लिक फ्रेंडली प्रो-एक्टिव पुलिसिंग की दूरगामी सोच के साथ किए गए नवाचारों ने राजस्थान पुलिस का एक नया चेहरा पेश किया है, जो पहले से कहीं अधिक सजग, सतर्क, संवेदनशील है और आधुनिक संसाधनों से लैस है।

मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू हुई अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण की नीति से एफआईआर दर्ज करना आसान हुआ है। पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण, एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज करने की सुविधा, सुरक्षा सखी समूह का गठन, महिला डेस्क की स्थापना, हिनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेन्स्ट वीमेन का गठन जैसे कदमों से अपराधों के अनुसंधान का औसत समय काफी कम हुआ है। इससे अपराधियों में भय कायम हुआ है और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलना सुनिश्चित हुआ है।

राजस्थान में कानून-व्यवस्था बेहतर बनाने की दिशा में किए गए नवाचारों का सार्थक परिणाम मिलने लगा है। अपराध नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों के कारण इस्तगासों के माध्यम से दर्ज होने वाले मुकदमों की संख्या 33.4 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गई है। महिलाओं से संबंधित अपराधों की तफ्तीश का औसत समय 274 दिन से घटकर 79 दिन ही रह गया है। प्रदेश के अधिकतर थानों में स्वागत कक्ष बन चुके हैं। पॉक्सो प्रकरणों में 7 अपराधियों को फांसी और 137 को उम्रकैद की सजा दिलाने में सफलता मिली है।

हाल ही राजस्थान पुलिस ने एक और कदम बढ़ते हुए देश में

तरुण जैन
सहायक निदेशक

पहली बार मोबाइल इन्वेस्टीगेशन यूनिट वाहन से 80 प्रतिशत मुकदमों की तफ्तीश एक ही दिन में पूरी करने की अभिनव पहल की है। प्रो-एक्टिव पुलिसिंग की इस व्यवस्था में जांच अधिकारी त्वरित गति से मौके पर पहुंच पाएगा। आधुनिक गेजेट्स की मदद से मौके पर ही अनुसंधान होगा। क्राइम साइट पर गवाहों के बयान दर्ज होने के साथ ही फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी होगी।

जिला मुख्यालय से दूर-दराज के थानों में 48 एमआईयू वाहन की सुविधा मिलने से सामान्य प्रवृत्ति के अपराधों में अनुसंधान का औसत समय 15 दिन से घटकर एक दिन होगा। अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं गंभीर वारदात पर इसमें तैनात एएसआई, एफएसएल वैज्ञानिकों की मदद से सबूत एकत्र कर सकेंगे। इस सुविधा से घटनाओं में शीघ्र कार्यवाही होगी और भेदभाव की संभावना समाप्त होगी। अनुसंधान में पारदर्शिता से पीड़ित को समय पर न्याय मिलेगा। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष 2021-22 में एमआईयू के लिए 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। करीब 71 एमआईयू वैन पुलिस को सौंपी जाएंगी।

प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था को लेकर विगत दिनों हुई पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस बिना किसी दबाव के कानून की पालना सुनिश्चित करते हुए अपना इकबाल कायम रखे ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो। अपनी पीड़ा लेकर थाने में आए फरियादी की वेदना को समझते हुए पुलिस अधिकारी संवेदनशील होकर उसकी मदद करें। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, पुलिस

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस

राजस्थान में 16 अप्रेल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रेल 1949 को सभी रियासतों के पुलिस बलों ने मिलकर राजस्थान पुलिस की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद से अखंड भारत की निर्माण प्रक्रिया के तहत राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। 18 मार्च, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले मत्स्य संघ की पहली शुरुआत के बाद धीरे-धीरे अन्य रियासतों ने भी एक राज्य में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी। 31 मार्च, 1949 को भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ग्रेटर राजस्थान के गठन का स्वागत करते हुए इसका उद्घाटन किया। यह प्रक्रिया वर्ष 1956 तक चली और सभी रियासतों ने एक होकर राजस्थान को उसका मूल स्वरूप प्रदान किया। तत्पश्चात इन रियासतों या राज्यों के विलय के साथ उनके पुलिस बलों को एक पुलिस बल में मिला दिया गया, जिसे राजस्थान पुलिस के रूप में जाना गया।

इसी भावना को ध्यान में रखकर हर मामले में निष्पक्षता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करे। पीड़ित को न्याय दिलाना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है।

श्री गहलोत के अनुसार पुलिस महकमे का कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है। निचले स्तर तक कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में एसपी को अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जिलों में थाने एवं चौकी स्तर तक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए और प्रो-एक्टिव पुलिसिंग से प्रभावी अपराध नियंत्रण हो। ठगी, ड्रग्स एवं नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार तथा संगठित अपराधों के मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले कुछ सालों में पश्चिमी राजस्थान में क्रूड ऑयल निकलने, रिफाइनरी, सोलर पावर प्लांट तथा विंड एनर्जी इकाइयों की स्थापना के कारण औद्योगिक गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में उद्यमियों को किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसके लिए माफिया एवं आपराधिक घटनाओं पर विशेष नजर रखी जानी जरूरी है।

राज्य सरकार ने पुलिस की कार्यशैली को आधुनिक, पब्लिक फ्रेंडली एवं प्रो-एक्टिव बनाने के उद्देश्य से थानों में स्वागत कक्ष, महिला अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी अनुसंधान के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद के सृजन, अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन, जघन्य अपराधों के लिए अलग इकाई का गठन, महिला डेस्क का संचालन, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र जैसे नवाचार किए गए हैं। इन नवाचारों के और

पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेते मुख्यमंत्री

बेहतर परिणाम हासिल होंगे। थानों में स्वागत कक्षों का काम भी जल्द पूरा होगा।

सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी

लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए, डिजिटल इको-सिस्टम की साइबर खतरों से सुरक्षा और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 50 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर डायल 100 एवं डायल 112 से जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाईल यूनिट गठित करने का निर्णय लिया है। अभय कमांड एंड कन्ट्रोल सेंटर से जुड़े कैमरों की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार की जाएगी। साथ ही, बड़े निजी संस्थानों और व्यावसायिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा रहा है।

अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री श्री गहलोत का मानना है कि अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए राजस्थान पुलिस की देश भर में एक अलग पहचान है। उनके अनुसार पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों को यह बात हमेशा अपने जेहन में रखनी चाहिए कि परिस्थितियां कैसी भी हों किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं हो। राज्य सरकार पुलिस के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में प्रभावी फैसले ले रही है। अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही करौली में एक कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा ने कर्तव्य निर्वहन करते हुए आग से घिरे 4 लोगों की जान बचाई थी। उसे राज्य सरकार ने हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। इसी तरह सिरोही के कांस्टेबल लाभूसिंह ने सतर्कता से सीसीटीवी कैमरे की सहायता से बच्ची के साथ दुष्कर्म होने से बचाया। मुख्यमंत्री ने पुलिस दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस का खेल बजट 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तथा पुलिस उत्सवों के आयोजन का फंड 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।

My idea of Gram Swaraj is that it is a complete republic, independent of its neighbours for its own vital wants and yet interdependent for many others in which dependence is necessary.

Mahatma Gandhi

पंचायती राज के मूल में गांधीजी की प्रेरणा

डॉ. सुबोध अग्निहोत्री
एसोसिएट प्रोफेसर

आशाराम खटीक
जनसम्पर्क अधिकारी

वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति एवं विश्वशांति के लिए जरूरी है कि गांधीवादी मूल्यों को प्रतिष्ठापित कर उनका जन-जन तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। गांधीजी द्वारा पूरी धरती को ही ट्रस्ट मानते हुए दिया गया ट्रस्टीशिप सिद्धांत (Gandhi's Trusteeship Principle) उल्लेखनीय है। इसमें उन्होंने कहा था कि जंगलों, नदियों, पहाड़ों व खनिज संसाधनों का इष्टतम उपयोग-उपभोग होना चाहिए। इसी दिशा में गांधी जी गांव-गांव के विकास और गांवों की आत्मनिर्भरता के लिए पंचायती राज की संकल्पना के भी पक्षधर थे।

भले ही देश में पंचायती राज का आगाज 1959 से, प्रथम प्रधानमंत्री स्व जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों से गांधीजी के देहावसान के बाद हुआ था लेकिन पंचायती राज का मूल तत्व गांधीजी के आदर्शों से ही प्रेरित था। गांधी की दृष्टि में पंचायतें ग्रामीण विकास की सशक्त वाहक बन सकती थीं। गांधी पंचायतों को आदर्श गणतंत्र की स्थापना के लिए माध्यम व पद्धति दोनों मानते थे। वे पंचायतों में सत्य, अहिंसा, समरसता व व्यक्ति की आजादी, छुआछूत विहीन समाज के सिद्धांतों का अनुपालन चाहते थे। बापू गांवों की राजनैतिक सत्ता चाहते थे एवं साथ ही आत्म-निर्भर व आत्म-निर्णय कर सकने वाले गांवों में आर्थिक प्रजातंत्र की इच्छा रखते थे। ग्राम स्वराज्य को लेकर उनकी विविध अपेक्षाएं रहीं। वे ग्राम स्वराज्य में व्यक्ति और ग्रामसभा दोनों को महत्त्वपूर्ण मानते थे। उनकी अपेक्षा थी कि ग्राम सभाओं में गांव का आमजन सक्रियता से भाग लेगा तथा वहीं गांव की प्राथमिकतायें व जरूरतें पहचानी जायेंगी। गांधी ग्राम पंचायतों में विधायिका, न्यायपालिका व प्रशासकीय इकाई का समवेत रूप देखना चाहते थे। निस्संदेह बापू अपने समय में किसी गलतफहमी में नहीं थे। वे मानते थे कि आदर्श ग्राम पंचायतें बनाना या उनके लिए अभियान चलाना आसान नहीं होगा। एक गांव को ही आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में पूरा जीवन खप सकता है। सुशासन के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना ग्राम सुराज और स्वराज दोनों के लिए आवश्यक है। गांधी जी के शब्दों में प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करना ही ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य है। गांधी जी के अनुसार ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। गांवों की स्वायत्तता (autonomy of villages) के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों के पास अपने संसाधनों के साथ विकास का खाका व अधिकार हो व मानवीय अस्मिता के साथ हर ग्रामवासी अपने विकास के लिए, बिना भेद-भाव एवं भय के पारदर्शी सुराज व स्वराज के लिए गांवों के विकास कार्यक्रमों व सभाओं में सहभागिता कर सके। राज्य सरकारें पंचों व पंचायतों को वे सभी अधिकार, विभाग, वित्तीय अधिकार व कर्मचारी दे रही हैं, जिनकी वे संवैधानिक हकदार हैं। स्वयं के उपयोग, उपभोग के लिए स्वयं का उत्पादन, शिक्षा और आर्थिक संपन्नता ही ग्राम स्वराज एवं वास्तविक आत्मनिर्भरता की कुंजी है। आज ग्राम सभाओं के माध्यम से ही ग्रामीण जन सहभागिता द्वारा विभिन्न विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में गांधीवादी विमर्श।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पंचायतीराज को सुदृढ़ करने की दिशा में अनवरत प्रयत्नशील है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने गांव-गांव तक रोजगार देकर शहरों की ओर पलायन करते ग्रामीणों को रोक पाने में सफलता हासिल कर उन्हें रोजगार दिया है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के 1993 से लागू होने पर देशभर में पहली बार 24 अप्रेल, 2010 को पंचायती राज दिवस मनाया जाना आरम्भ किया गया था। तब से गांवों के विकास में स्थापित किये गए इस कदम को मील के पत्थर की भांति लगातार 24 अप्रेल को पंचायतीराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

पंचायतीराज का शुभारम्भ

शुरू होती है "गांव की सरकार"

2 अक्टूबर 1959, नागौर

पंचायती राज के सशक्तीकरण के लिए संकल्पबद्ध

“गांव की समृद्धि के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। पंचायतीराज संस्थाओं के उद्घाटन के रूप में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से जो देशव्यापी अळख जगी थी, वह आज संवैधानिक आधार पाकर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई कहानी लिख रही है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों का जीवन सुगम बनाने के साथ ही मनरेगा जैसी योजनाओं के जरिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को सुनिश्चित रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार एवं सम्बलन का प्रयास जारी है। योजनार्तगत देशभर में सर्वाधिक रोजगार दिवसों का सृजन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अन्तर्गत हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ–सफाई और कचरा संग्रहण की वही सुविधाएं सुनिश्चित करें जैसी व्यवस्था शहरो में की जा रही है।”

24 अप्रेल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के अवसर, ‘‘राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस’’ के अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चन्द मीणा के सहायक निदेशक मानसिंह मीणा द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश.....

देशभर में पंचायती राज का आगाज राजस्थान से ही हुआ था। आज प्रदेश को आप पंचायती राज संस्थाओं के विकास में कहां देखते है?

आधुनिक भारत के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से 02 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सृदृढ़ करने हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ पंचायती राज अधिनियम, 1994 लागू किया गया था, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम पंचायतों को योजनाओं का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई। कालान्तर में 11वीं अनुसूची मे वर्णित 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओ को हस्तांतरित कर उन्हें सशक्त व मजबूत किया गया है। साथ ही पंचायतो को उनकी स्थानीय विकेन्द्रीकृत योजना के नियोजन हेतु राशि की उपलब्धता के लिए केंद्रीय वित्त आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग का गठन कर उनकी सिफारिशों के अनुसार वित्तीय प्रावधान किये गए हैं।

आज हमारी पंचायतें अपने–अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए सहभागी विकेन्द्रीकृत पंचायत विकास योजनाओ का निर्माण कर विकास के कार्य कर रही हैं। मेरा मानना है कि पंचायतें क्षेत्र में उपेक्षित व वंचित समुदायों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएं पंचायती राज अधिनियम में वर्णित सेवाओं से सभी वर्गों व समुदायों को बिना किसी भेदभाव के लाभान्वित कर रही हैं। क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल, चिकित्सालय, अनाज मंडी इत्यादि के साथ सामाजिक सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति, कृषि योजनाओं, कौशल विकास, ग्रामीण स्वच्छता, आवास तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ प्रदान कर प्रदेश में सुशासन के लक्ष्य की प्राप्त की ओर सहायक एवं अग्रसर हैं।

पंचायती राज के जरिए सत्ता–शासन के विकेन्द्रीकरण से शासन में लोकरुचि एवं जनसहभागिता बढ़ी है, आप कहां तक सहमत हैं?

पंचायती राज के जरिये सत्ता, शासन का निचले स्तर तक विकेन्द्रीकरण किया गया है, जिससे लोकतंत्र की भावना के अनुरूप सत्ता–शासन में स्थानीय लोगों की निर्णय में भागीदारी बढ़ी है। स्थानीय ग्रामीण समुदाय अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकतानुसार उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ कर उनका सफल निराकरण करने में सहयोग प्रदान करते हैं एवं ग्राम एवं पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थियों के चयन में सभी को साथ लेकर व उन्हें योजनाओ का लाभ पहुंचाकर सभी के विकास मे अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं।

पंचायती राज को अंत्योदय के एक साधन के रूप में आप कितना सशक्त पाते हैं?

पंचायती राज के जरिये सत्ता शासन का निचले स्तर तक विकेन्द्रीकरण किया गया है, जिससे पंचायती राज संस्थाओ के जरिये हम समुदाय के सबसे गरीब, कमजोर परिवार तक अपनी पहुंच बनाकर उनकी पात्रतानुसार केंद्रीय एवं राजकीय योजनाओ से लाभान्वित कर उनके जीवन स्तर में सुधार का कार्य कर रहे हैं। साथ ही ऐसे परिवारों के सदस्यों को विभिन कौशल विकास योजनाओं से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर पंचायती राज संस्थाए अंत्योदय के साधन के रूप में भलिभांति अपना कार्य कर रही हैं। मेरा मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ है और इस इकाई के अंतिम व्यक्ति को सशक्त करके ही सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

विगत वर्षो में कोविड से मुकाबले में पंचायती राज संस्थाओं का क्या योगदान रहा है?

पंचायती राज विभाग द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं को कोविड नियंत्रण हेतु अनुदान के रूप में राशि जारी की गई थी, जिससे सेनिटाईजेशन का कार्य, मास्क वितरण व जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर जरूरतमंदों के भोजन व रोजगार की व्यवस्था की गई। जब कोविड लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में मूवमेंट हो रहा था, पंचायती राज संस्थाओं, सहयोगियों द्वारा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में सहयोग किया गया। कोविड प्रबन्धन के हर प्रयास में इन संस्थाओं ने हर कदम पर सहयोग किया।

राज्य सरकार द्वारा वृहद स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया था, पंचायती राज से जुड़े कार्यो में क्या उपलब्धियां रहीं?

02 अक्टूबर, 2021 से ''प्रशासन गांव के संग अभियान'' अंतर्गत लगभग 10 लाख से अधिक पट्टे जारी कर, जनसमुदाय को मालिकाना हक प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर लगने वाले शिविरों में करीब दो दर्जन विभागों से जुड़े कार्यो एवं योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया गया। ऐसे कई कार्य जिनके लिए उन्हें विभिन्न विभागों में महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे, एक ही जगह तत्काल पूरे किए जाकर इसका लाभ दिया गया।

पंचायती राज की सफलता के लिए प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं?

यह सही है कि राजस्थान भौगोलिक विषमताओं का राज्य है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र में बिखरी आबादी, डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र की अपनी विशेषता है, रेगिस्तानी भूभाग तथा सीमावर्ती क्षेत्र, जिनके विकास कि योजना उनकी आवश्यकतानुसार पूर्ण करने में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना, इन क्षेत्रों में समय से कार्यो के निष्पादन, निर्माण कार्यो व अन्य विकास की गतिविधियों की मॉनिटरिंग अपने-आप में एक चुनौती है।

राजीविका में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

प्रशिक्षित एसएचजी महिलाओ से गावों में Participatory Identfication of Poor (PIP) द्वारा गरीब महिलाओ की पहचान कर

जयपुर की जमवारामगढ़ पंचायत समिति की बोबाड़ी ग्राम पंचायत में नरेगा के अंतर्गत खेल मैदान का कार्य

छाया चित्र: डॉ. रजनीश शर्मा

उन्हे समूह मे जोड़ा जाता है जिसमे सभी वर्ग की महिलायें सम्मिलित होती हैं। इन समूहों को रिवालिग फण्ड (रू.15000/प्रति समूह) तीन महीने बाद एवं कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड (रू.75000/प्रति समूह) छह महीने बाद आजीविका सवंर्धन के लिए दिया जाता है एवं नौ माह बाद बैंक के माध्यम से समूह को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद समूह आवश्यकता एवं मांग के अनुसार अपने समूह की गरीब महिलाओं को ऋण देता रहता है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओ को आरसेटी एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर योग्य उत्पादों का चयन एवं निर्माण किया जाता है। इन उत्पादों को विक्रय हेतु राज्य में जिला मुख्यालयों पर मॉल, सरस मेले, ऑनलाइन मार्केटिंग पर विक्रय हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हुई महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित उत्पादों के विक्रय को बढावा देने के लिए एवं स्थिति जानने के लिए भरतपुर चित्तौड़गढ, भीलवाडा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर उनकी वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास किया जा रहा है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में मानव दिवस सृजन की क्या स्थिति है?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत प्रदेश में सर्वाधिक 42.43 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजित किये गये हैं जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही राज्य मद से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 125 दिवस का रोजगार प्रति परिवार का प्रावधान किया गया है जिसे इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू किया गया है।

योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित एवं त्रिस्तर पर वार्षिक कार्य योजना में कार्य करवाए जाते हैं जिनमें नर्सरी विकास कार्य, पोषण वाटिका, कार्यशाला निर्माण, पशुशाला निर्माण, निर्माण शाला, फॉर्म पोण्ड, टांका, डिग्गी निर्माण, पौधारोपण आदि कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। मनरेगा योजना ग्रामीण जन के लिए रोजगार प्रदान कर उनके सम्बलन की एक प्रभावी योजना है। पात्रता रखने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को जॉबकार्ड जारी कर उनके जीवन स्तर में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जॉबकार्ड अपडेशन का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। इस हेतु विशेष अभियान चलाए जाने के लिए हाल ही सभी जिलों को निर्देशित किया गया है।

वर्ष 2021-22 की कोई खास उपलब्धि?

जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के अन्तर्गत वैज्ञानिक आधार पर जल संग्रहण एवं मृदा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदेश को द्वितीय स्थान के लिए ''राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020'' से पुरस्कृत किया गया है।

जल संरक्षण एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासो के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिमी क्षेत्र श्रेणी में बांसवाड़ा जिले को भी द्वितीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार गत वर्षो में कराये गये 1 लाख 17 हजाार 789 वर्षा जल संग्रहण कार्य जैसे एनीकट, चैकडेम, मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई टैंक निर्माण, तालाब जोहड़, खेतलाई, खडीन, टांका, रूफटॉप वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर इत्यादि के निर्माण के लिए दिया गया है। इसके कारण 14800 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। जल संग्रहण के कार्यो की वजह से 46 हजार 879 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त कृषि उत्पादन एवं 78 हजार हेक्टेयर बंजर भूमि उत्पादन योग्य बन गई है।

बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार ग्राम पंचायत में ''गांधी विकास पथ'' के निर्माण की क्या स्थिति है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की योजनाओं से कन्वर्जेन्स कर चरणबद्ध रूप से गांधी विकास पथ का निर्माण कराया जाएगा। जिसमें लगभग 1750 करोड़ रुपये व्यय कर 2500 किलोमीटर सड़को का निर्माण कराया जायेगा।

कृषकों की आय बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

बजट घोषणा 2021-22 के तहत नरेगा अन्तर्गत जलग्रहण विकास योजनाओं से समन्वय कर कृषकों की आय बढ़ाने हेतु आगामी 2 वर्षो में 50 हजार फार्म पॉण्ड, डिग्गी एवं टांकों का निर्माण लगभग 600 करोड़ की लागत से करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 10 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की भूमि पर 7.5 करोड़ रुपये लागत से लगभग 5 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण किया जाएगा।

आपके विचार में प्रदेश में पंचायती राज अपने लक्ष्यों को किस हद तक हासिल कर पाया है?

प्रदेश में पंचायती राज अपने लक्ष्यों में काफी हद तक सफल रहा है लेकिन सुधार की गुंजाइश हर सिस्टम में रहती है। पंचायती राज संस्थाएं पंचायती राज अधिनियम अंतर्गत वर्णित सेवाओं को सहज एवं गुणवत्तापूर्वक रूप से समुदाय के सभी लोगो तक पंहुचाने में सक्षम हैं। ये संस्थाए अपने क्षेत्र मे विकसित की गयी परिसम्पतियों की जिओ-टेगिंग कर डाटा का संधारण डिजिटल पोर्टल पर कर रही हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर शत्-प्रतिशत पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य ई-ग्राम स्वराज पोर्टल अनुसार किया जा रहा है।

समस्त पंचायतो में आधारभूत संरचनात्मक ढ़ांचे का विकास किया जा रहा है जैसे-सड़क, नाली, बिजली एवं पानी इत्यादि। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। पंचायत बैठकों, सभाओं एवं विषेश सभाओं के माध्यम से विकास के सभी सेक्टरों की समीक्षा उनके अधिकारियों के साथ की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित 29 विषयों से संबंधित कार्यो का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है।

ग्रामीण विकास के लिए सतत प्रयास जारी

"प्रशासनिक स्तर पर पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई नए निर्णय किए गए हैं। जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण जैसे कार्यों के क्रियान्वयन के साथ ही उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी की जा रही है।"

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोरा से सहायक निदेशक सम्पत राम चांदोलिया द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्त्वपूर्ण अंश...

पंचायती राज की सफलता के लिए प्रदेश में क्या नवाचार किए जा रहे हैं?

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण किया जा रहा है। इनमें नियोजन प्रक्रिया को सुगम, व्यावहारिक एवं सटीक बनाने के लिए स्थानीय नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। ग्राम पंचायतो पर नागरिक सेवा केंद्र की सेवाओं की उपलब्धता राजीव गांधी सेवा केंद्र के माध्यम से अथवा ई-मित्र सेवा/CSC के द्वारा की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक कितने पात्र परिवारों को लाभान्वित किया गया है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा SECC-2011 के आंकड़ो के आधार पर तैयार अंतिम वरीयता में से पात्र 13.35 लाख परिवारों में से वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक आंवटित 13.35 लाख आवास निर्माण के लक्ष्यों के विरुद्ध 13.34 लाख आवास की स्वीकृति जारी कर 12.47 लाख आवास पूर्ण करवा लिये गये हैं। आवास प्लस पर दर्ज 12.85 लाख अतिरिक्त चिहिंत पात्र परिवारों में से वर्ष 2021-22 हेतु राज्य को 3.97 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य आवंटित था जिनमे से 3.90 लाख आवासों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

डांग, मेवात एवं मगरा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत क्या-क्या मूलभूत विकास कार्य करवाये जाते है?

डांग, मेवात एवं मगरा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा रहा है। क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर, क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत क्षेत्र के विकास के लिए 5 मूल आधारभूत सुविधाएं यथा ग्राम स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण आंतरिक सड़कें, शिक्षा एवं ग्राम में रोशनी की व्यवस्था के कार्यो का प्राथमिकता से सम्पादन कराया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों को रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु लधु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ पुरातत्व पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित कार्य एवं कला संस्कृति तथा पर्यटन विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं। जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान में किस-किस प्रकार के काम विभाग द्वारा कर योजनाओं में लाभान्वित किया गया?

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रशासन गांवों के संग अभियान में कई कार्य प्राथमिकता से कराए गए। इनमें नवीन जॉबकार्ड जारी करना एवं अद्यतन करना, लाइन विभाग यथा सानिवि, वन एवं जल संसाधन द्वारा अपने विभाग की राशि का महात्मा गांधी योजना से कन्वर्जेन्स कर कार्यो के प्रस्ताव प्रस्तुत करना, योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के मोबाइल नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करना, योजनान्तर्गत नरेगा सॉफ्ट में यदि किसी श्रमिक का खाता संख्या सही नहीं है तो उसे अपडेट करना, योजनान्तर्गत समस्त कार्यो की जियो टेगिंग करना, कार्य पत्रावली मय समस्त दस्तावेज तैयार करना, कार्यस्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना, रजिस्टरों का संधारण जैसे कार्य शामिल हैं।

राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत किस प्रकार के कार्यो को प्राथमिकता दी जा रही है तथा स्थानीय लोगों को क्या लाभ होगा?

राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत नमी एवं जल संरक्षण तथा संग्रहण हेतु सी.सी.टी., डीप सी.सी.टी., स्टैगर्ड ट्रेन्चेज, खेतों पर मेड़बन्दी, मिनी परकोलेशन टैंक, फार्म पॉण्ड, संकन पौण्ड, एनिकट, पक्का चैक डैम, टांका, नाड़ी, तालाब इत्यादि का निर्माण एवं जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यो से स्थानीय लोगों को वर्षा जल, सिंचाई एवं पीने हेतु पानी उपलब्ध होगा। भूमि में नमी संरक्षित रहेगी, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा, सूखे कुएं एवं सूखे हैण्ड पम्प में पानी उपलब्ध होगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या नवाचार किए गए हैं एवं महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं?

महात्मा गांधी नरेगा योजना में कई नवाचार किए गए हैं एवं प्रभावी कदम उठाए गए हैं। योजनान्तर्गत श्रमिक नियोजन में अनियमितता की प्रभावी रोकथाम के लिए एनएमएमएस के माध्यम से हाजरी अंकन

किया जा रहा है। प्रभावी क्रियान्वियन हेतु अधिकारियों के निरीक्षण ऐरिया ऑफिसर एप के माध्यम से अपलोड किये जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक कार्य चारागाह विकास, खेल मैदान, मॉडल तालाब, फार्म पौण्ड एवं टांका एवं श्मशान घाट, कब्रिस्तान विकास के कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचशाला के अन्तर्गत पौधाशाला कार्य, कार्यशाला , निर्माणशाला , पशुशाला, पोषणशाला, बा-बापू वृक्षारोपण अभियान, सबका खेत, सबका काम योजना जैसे कार्य शामिल हैं। नरेगा कार्यों के तकमीने ऑनलाइन तैयार कर वर्ष 2021-22 में 2,22,051 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति एवं 1,87,115 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। नरेगा कार्य ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित एवं त्रिस्तर पर वार्षिक कार्य योजना में करवाए जाते हैं ।

राज्य स्तरीय योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था है ?

राज्य स्तरीय योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज में कार्यरत ई-पंचायत पोर्टल से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के संचालन में प्रयुक्त होने वाले ई-वर्क को एपीआई (Aplication program interface) के माध्यम से जोड़ा गया है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की समस्त एप्लीकेशन को एपीआई के माध्यम से ई-पंचायत पोर्टल से जोड़ा जा रहा है ताकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ हो सके तथा प्रभावी मॉनीटरिंग की जा सके। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की सूचना जीआईएस प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करवाने के लिये GIZ के द्वारा विकसित ई-मैप एप्लीकेशन एवं मोबाईल एप को भी ई-पंचायत पोर्टल से इन्ट्रीग्रेट किया जा रहा है।

कोरोना काल में प्रवासी श्रमिको को रोजगार सुलभ कराने हेतु क्या-क्या प्रयास किए गए ?

कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता से रोजगार दिया गया। वर्ष 2020-21 (कोरोना काल) में 114.19 लाख जॉबकार्ड जारी कर 4605.35 लाख मानव दिवस सृजित किये गये एवं 75.43 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत किस प्रकार के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं ?

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय के स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण करा क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर किया जा रहा है तथा स्थानीय समुदाय में स्वालम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन के क्रम में कई प्रकार के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इनमें पेयजल, किसी ग्राम, नगर की आबादी सीमा में सड़क, खरंजा एवं नाली निर्माण, शहरी क्षेत्र में सीवरेज का कार्य, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, राजकीय शिक्षण संस्थाओ के लिए भवन, कक्षा कक्ष, कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर, अध्ययन-अध्यापन सामग्री, स्काउट सामग्री, खेल सामग्री, फर्नीचर, दरी उपलब्ध कराना, ग्राम, शहर में तालाबों की सफाई, डिसिल्टिंग का कार्य कराना, पारम्परिक जलस्त्रोतों के विकास के कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा गांवों की सम्पर्क सडकों, पुलिया, रपट, 'पर्यटन विकास, पुरातात्विक महत्व स्थलों, स्मारकों, भवनों का नवीनीकरण, मरम्मत एवं विकास कार्य, पशु स्वास्थ्य चिकित्सालय भवन एवं उपकरण, श्मशान, कब्रिस्तान चारदीवारी एवं सुविधायें, पुस्तकालय भवन, बस स्टेण्ड, धर्मशाला, विश्रामगृह, स्टेडियम, खेल मैदान, वाल्मिकी भवन, सामुदायिक भवन, विद्युतीकरण जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं।

साथ ही सार्वजनिक, सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य, चारदीवारी निर्माण, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, खेल मैदान, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सार्वजनिक स्थान पर संचालित ओपन एयर जिम हेतु खेल सामग्री, उपकरण एवं युवा मामले एवं खेल विभाग के स्वामित्व व उनके द्वारा संचालित जिम में कमरा निर्माण, राजकीय विभागों में सी.सी.टी.वी कैमरे। राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं हेतु सेनेटरी नेपकीन डिस्पेन्सर्स की स्थापना जैसे अनेकानेक कार्य ग्रामीण क्षेत्र में हाथ में लिए जा रहे हैं।

पंचायती राज–पंच परमेश्वर की अवधारणा

कल, आज और कल

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

हिन्दुस्तान में प्राचीनकाल, मध्यकाल एवं आधुनिककालीन इतिहास में किसी न किसी रूप में पंचायत जैसी संस्थाओं के अवशेष मिलते हैं। पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। यह हमारी गहन सूझ–बूझ के आधार पर व्यवस्था–निर्माण करने की क्षमता की परिचायक है। यह हमारे समाज में स्वाभाविक रूप से समाहित स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता एवं संपूर्ण स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा व लगाव का द्योतक है।

ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में पंचायत शब्द का उल्लेख मिलता है। जिसका आशय है पॉच प्रबुद्ध लोगों का समूह जिन्हें पंच–परमेश्वर कहा गया। ऋग्वेद में सभा, समिति एवं विदाथा के रूप में गांव की स्व शासन संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जो स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। वैदिक काल में गांव प्रशासन की बुनियादी इकाई थी।

इसमें समिति, जो कि वैदिक लोक विधानसभा थी कुछ मामलो में राजा का चुनाव कर सकती थी और सभा न्यायिक कार्यो में अपना योगदान देती थी।

इसी प्रकार रामायण एवं महाभारत काल में स्थानीय प्रशासन पुर एवं जनपद नामक दो स्तरों पर विभाजित था। महाभारत के शान्तिपर्व में भी जनपदों के ग्राम स्वशासन और पंचायतों के निर्वाचन और गठन का उल्लेख किया गया है। उस समय पंचायत अधिकारियों में पुरोहित, सभापति और ग्रामीणी और ग्राम योजक प्रमुख हुआ करते थे, ग्रामीणी ही पंचायत का मुखिया होता था। गांव के शासक प्रशासक के रूप में ग्राम योजक का चुनाव ग्रामसभा के मार्फत होता था। गांव से जुड़े मसले सुलझाने का दायित्व ग्रामयोजक का ही होता था। मौर्य काल में चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्वशासन की इकाई ग्राम, पंचायत एवं गावों के समूह का उल्लेख किया गया है।

सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी। इसमें गांवो का प्रबन्धन लम्बरदारों, पटवारियों और चौकीदारों के जिम्मे होता था। इसी प्रकार मुगल काल में कई गांवों से मिलकर परगना बनता था। इस समय गांव की शासन व्यवस्था सुगठित थी।

पंचायत के पंच के रूप में पांच व्यक्तियों को चुनने के लिए भी एक निश्चित मापदंड था। वे गांव के ऐसे पांच प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, जो

अपने अलग-अलग गुणों के लिए जाने जाते थे। वे पांच गुणों वाले व्यक्ति थे-सोच-समझकर काम करने वाले, दूसरों की रक्षा में हमेशा आगे आने वाले, किसी भी काम को व्यवस्थित ढंग से करने वाले, किसी भी शारीरिक श्रम वाले काम में अधिक रुचि रखने वाले तथा राग द्वेष त्यागकर परोपकारी संन्यासी की तरह जीना पसंद करते थे। ऐसे पांच अलग-अलग गुणों वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को समाज में आदरभाव से देखा जाता था।

ये पंचायत के रूप में गाँव में रहने वाले लोगों के बीच का मतभेद दूर करने, गांव की रक्षा, गांव का विकास, समुदायपरक समाधान निकलते जो सबको मान्य होता। यह अनौपचारिक लेकिन असरकारक प्रणाली मुगलों के शासनकाल तक अनवरत चलती रही। परन्तु अंग्रेजों के आते ही इसमें रुकावट आने लगी। उन्हें इसके स्वायत्त इकाई का स्वरूप बिल्कुल अनुकूल नहीं लगा। अत: इसके साथ उन्होंने छेड़-छाड़ शुरू कर दी।

ब्रिटिश काल में पंचायती राज

ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1786 में , इसके सदस्य लार्ड वर्क ने जो उस समय भारत के गर्वनर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध भारत में गांव की परंपरागत एवं मजबूत व्यवस्था को तोड़ने का महाभियोग प्रस्ताव ले आए। आगे चलकर इसी गांव-स्तर की पंचायत व्यवस्था के विषय में तत्कालीन गर्वनर जनरल मेटकाफ ने 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें लिखा, 'भारतीय ग्राम समुदाय छोटे-छोटे गणराज्य हैं, जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं और अपने लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं। ये सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त हैं। इनके अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। एक के बाद एक साम्राज्य आते गए, क्रांतियां एवं परिवर्तन हुए पर हिन्दुस्तानी ग्राम-समुदाय की पंचायती व्यवस्था उसी तरह बनी रही।'वर्ष 1786 में लार्ड वर्क द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाये महाभियोग के साथ ही अंग्रेजों ने भारत के गांवों की तोड़ी गई व्यवस्था को कई बार कई तरह के अधिनियम बनाकर ऊपर से जोड़ने के प्रयास किये। अंग्रेजों की हरस्थिति में न केवल अपने हाथ में रखने की साजिश थी। स्वायत्त शासन की पहली शर्त होती है स्वनियंत्रित स्थिति। भारत के राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के लिए अभी भी विचारणीय है।

भारत में ब्रिटिश राज के उद्भव के साथ स्थानीय स्वशासन एक प्रतिनिधि के रूप में सामने आया। भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड मेयो को प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की ज़रूरत महसूस हुई तो वर्ष 1870 में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू हुई।

बंगाल चौकीदार अधिनियम 1870 में पंचायती राज

बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम में हुई। इस चौकीदार अधिनियम ने जिला

मजिस्ट्रेट को गांवों में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया।

रिपन रेजोल्युशन 1882 में पंचायती राज

ब्रिटिशकाल में 1880 से 1884 के मध्य लार्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन सम्बंधी प्रस्ताव देकर स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने का कार्य किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई 1882 एक अहम दिन साबित हुआ। इसने बहुमत में निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड प्रदान किया जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी अध्यक्ष को सौंपी गयी। इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना जाता है।

मोंटेगू-चेम्सफोर्ड 1919 एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के सुधारों के दौरान पंचायती राज

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड 1919 के अनुसार जितनी हो सके स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा इसके बाद 1925 तक आठ प्रांतों ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम (1935) ब्रिटिश काल में पंचायतों के विकास में एक और महत्वपूर्ण मंच के रूप में माना जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार गांव स्वायत्तता के हित में नहीं थी, लेकिन वो भारत में अपने शासन जारी रखने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर थी तथा इसके अलावा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इसका अस्तित्व में होना जरूरी था।

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का कार्य आजादी के बाद भारत सरकार पर आ गया। यह स्पष्ट था कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों को मज़बूत करना आवश्यक था क्योंकि भारत एक गाँवों का देश था। ग्रामीण भारत की समस्या से निपटने का

पहला प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के दौरान किया गया।

बलवंतराय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज

सन 1957 में स्थापित की गयी बलवंतराय मेहता समिति स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति थी। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण पुनर्निमाण की दिशा में इसने काफी काम किया तथा 1 अप्रेल 1958 को इसके सिफारिशें प्रभाव में आईं।

पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां

- बलवंत राय मेहता समिति (1956-57)
- अशोक मेहता समिति (1977-78)
- पी वी के राव समिति (1985)
- डॉ. एल एम सिन्घवी समिति (1986)
- पी के थुंगन समिति (1988)

संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन और शक्तियां प्रदान करने की बात की गई है, लेकिन संवैधानिक दर्जा नही दिया गया। कालान्तर में 73 वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल, 1993 को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर लागू किया गया। इसलिए वर्ष 2010 में 24 अप्रेल को पहला पंचायतीराज दिवस मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।

राजस्थान में पंचायती राज का उद्भव एवं विकास

आजादी से पूर्व राजस्थान में सबसे पहले सन 1928 में बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया । स्वतंत्र

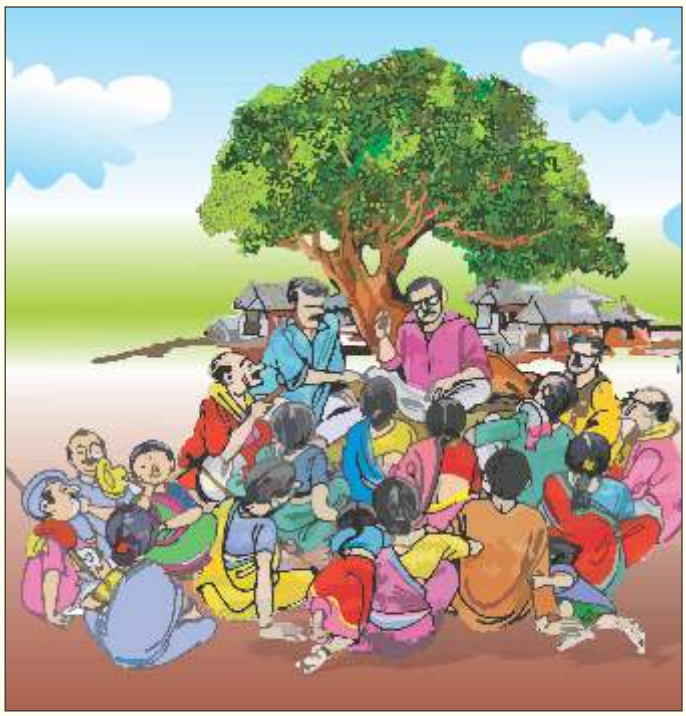

भारत में राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई। इसी प्रकार राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1953 बनाया गया था, उसके पश्चात सन 1959 में राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में किया गया।उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे ।

राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के पश्चात राजस्थान जिला परिषद अधिनियम 1959 और राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम 1959 में बनाए गए और पहली बार इनके चुनाव 1960 में हुए। पंचायत सुधार हेतु 1964 में सादिक अली समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण पर अपनी अनुशंसा की थी। इसके पश्चात 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया गया, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय मजबूती के लिए सुझाव दिए थे ।

वर्ष 1984 में जयपुर में इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई, यह पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाला राजस्थान का सर्वोच्च संस्थान है। राजस्थान विकास नाम से राजस्थान के ग्रामीण और पंचायती राज विभाग द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की पत्रिका का नाम कुरुक्षेत्र है। पंचायती राज संस्थाओं के सुधार हेतु वर्ष 1988 में हरलाल सह खर्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति की अनुशंसा पर ही जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डीआरडीए) का विलय जिला परिषद में कर दिया गया था। वर्ष 2011 में गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें 11वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 कार्य पंचायत राज संस्थाओं को देने की अनुशंसा की।

प्रदेश में ई-गवर्नेंस का सपना गांवों में भी हो रहा साकार

इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ीं प्रदेश की 9400 से अधिक ग्राम पंचायतें

डॉ. आशीष खण्डेलवाल
सहायक निदेशक

जीवन के हर क्षेत्र में आज सूचना तकनीक का बड़ा महत्त्व है। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित कर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस और आईटी का लाभ घर-घर पहुंचाया जा रहा है। राज्य में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में ई-गवर्नेंस के प्रसार के लिए किये जा रहे राज्य सरकार के कार्य आमजन को राहत दे रहे हैं। किसी भी प्रदेश के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम योगदान होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी आज के दौर में ई-गवर्नेंस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि राज्य सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट सुविधा से जोड़कर ई-गवर्नेंस की सहायता से पंचायती राज व्यवस्था को निरंतर मजबूत किया जा रहा है।

राजनेट

ग्रामीण राजस्थान के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की राजनेट परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को राजनेट कनेक्टिविटी द्वारा जोड़ा गया है। इसके माध्यम से ई-मित्र, ई-मित्र प्लस, आईपी टेलीफोन, वाई-फाई, स्काडा, बैंकिंग करेस्पोडेंट आदि को इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना का उेश्य राज्य इंटरनेट नेटवर्क का निर्माण करके राज्य में ग्राम पंचायत स्तर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना है।

परियोजना से लाभ

इस सुविधा के उपयोग से ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर ई-मित्र के माध्यम से ग्रामवासियों को सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विभिन्न नेटवर्कों के प्रभावी उपयोग के लिए केंद्रीय एकीकृत नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र के माध्यम से नेटवर्क की निगरानी की जा रही है और नेटवर्क सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अभी तक प्रदेश में 9400 से ज्यादा ग्राम पंचायतें एमपीएलएस अथवा वी-सेट तकनीकी के माध्यम से जोड़ी जा चुकी हैं। वर्तमान मे भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत ओएफसी के माध्यम से 7100 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

राज वाई-फाई

राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी सुधारों के तहत ग्राम पंचायत एवं विभिन्न सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने की कल्पना की है।

परियोजना का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर तक नागरिकों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उेश्य से राज वाईफाई परियोजना संचालित की जा रही है।

परियोजना से लाभ

वाईफाई की सुविधा सभी विभागीय मुख्यालयों एवं समस्त जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में 8710 से अधिक ग्राम पंचायतों पर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 9960 वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उक्त सुविधा संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसका उपभोग लगभग 1.02 लाख उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

पिछले एक साल में 26,000 जीबी से भी अधिक डाटा का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित वाई-फाई नेटवर्क के द्वारा किया गया है। पूर्व में ज्यादातर ग्राम पंचायतों पर वीसेट/एमपीएलएस के माध्यम से वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई थी, जिसे वर्तमान में भारतनेट नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जा रहा है। भारतनेट नेटवर्क पर वीसेट अथवा एमपीएलएस कनेक्टिविटी की तुलना में बेहतर इंटरनेट स्पीड मिलती है, जिससे वाई-फाई नेटवर्क की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है।

ई-मित्र

राज्य मे लगभग 87269 से अधिक ई-मित्र कियोस्क हैं, जिनमें से लगभग 60594 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इनकी मदद से ग्रामीण स्तर पर ही आमजन के लिए राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा

आमजन को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की लगभग 475 लोकप्रिय सेवाएं प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली से घर के नजदीक उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आमजन द्वारा ई-मित्र की सेवाएं ई-मित्र कियोस्क, मोबाइल एप, ऑनलाइन पोर्टल एवं ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से भी प्राप्त की जा रही हैं।

ई-मित्र प्लस

ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर ई-मित्र प्लस, ई-सेवा प्रदान करने का क्रान्तिकारी कदम है। मानवरहित स्वयंसेवी ई-मित्र प्लस कियोस्कों को सरकारी कार्यालयों/संगठनों/सार्वजनिक स्थानों एवं साथ ही गैर सरकारी स्थानों पर स्थापित किया गया है। ई-मित्र प्लस भारत में अपनी तरह का पहला कियोस्क है, जिस परनकद, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसी भुगतान की कई सुविधाएं हैं और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे बिल आदि का भुगतान भी किया जा सकता है। इन स्वचालित कियोस्कों से विभिन्न प्रमाण-पत्र, ई-कार्ड (आधार, जन-आधार), पी.वी.सी. कार्ड पर जनआधार प्रिंट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, जन सुनवाई, सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं राजकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में 14,891 ई-मित्र प्लस कियोस्क ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं।

राज किसान साथी

पंचायती राज व्यवस्था की सफलता किसानों को साधन संपन्न और खुशहाल बनाए बिना सफल नहीं हो सकती। इसी मंशा के साथ मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2019 में अपने बजट भाषण में किसानों के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल के कार्यान्वयन की घोषणा की, जो कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, विपणन आदि जैसे सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विस्तारित किसान संबंधी सभी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कृषि विकास के लिए मौजूदा बाधाओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए, राजकिसान साथी तैयार किया गया है। राजकिसान साथी भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित है। इस परियोजना में किसान डाटाबैंक (किसान की पहचान, भूमि और फसल की जानकारी), कृषि इनपुट प्रबंधन प्रणाली (मिट्टी, बीज, उर्वरक, सिंचाई का बुनियादी ढांचा, कृषि मशीनरी), कृषि उत्पादन प्रबंधन प्रणाली (फसल उत्पादन, बाजार/मंडी, भंडारण और परिवहन), कृषि सुविधा (परीक्षण, कृषि-प्रसंस्करण, सूची और डीलर सूचना), ई-मार्केट प्लेस-ऑर्गेनिक (ऑनलाइन मार्केट प्लेस), सब्सिडी/स्कीम मॉनिटरिंग-डीबीटी आदि शामिल हैं। इन गतिविधियों के अलावा पोर्टल में जीआईएस आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (कृषि सलाहकार, जीआईएस आधारित मॉडलिंग), सूचना और चेतावनी (मौसम रिपोर्टिंग, सूचना प्रबंधन और विस्तार), डाटा विश्लेषण (प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुमान और पूर्वानुमान) भी शामिल होंगे।

परियोजना के लाभ

- जन-आधार डाटाबेस का उपयोग करके आवेदन प्रपत्रों का सरलीकरण।
- सब्सिडी वितरण के प्रत्येक चरण में किसान को एसएमएस।
- आवेदन वास्तविक समय में कृषि कार्यालय तक पहुंचता है।
- पात्रता की जानकारी, आवश्यक दस्तावेज आवेदन के समय उपलब्ध होते हैं।
- कृषि, मौसम विज्ञान और तकनीकी जानकारी तक समय पर पहुंच।
- फसल उत्पादन में निर्णय लेने के लिए पूर्वानुमान सेवाओं की स्थापना।
- कृषि आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली और मौसम सूचना प्रणाली।
- एक संपूर्ण सूचना प्रणाली जिसके माध्यम से किसानों को बाजार की उपलब्धता, आदानों की कीमतों, मौसम की जानकारी, मिट्टी की जानकारी और उर्वरक, बीज आदि के लिए सलाह जैसी विभिन्न सलाहकार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।
- किसानों को सब्सिडी संबंधी सेवाओं की सुगमता और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इसकी सुपुर्दगी।

जवानपुरा राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित, जाहोता हेरिटेज विलेज के रूप में बना रहा पहचान

जयपुर जिले की जाहोता और जवानपुरा ग्राम पंचायतें बनीं प्रेरणा स्त्रोत

प्रदेशभर की पंचायतें ओडीएफ प्लस बनने को प्रोत्साहित होंगी

पहले ओडीएफ और अब ओडीएफ प्लस! वैसे तो प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों को ओडीएफ प्लस का खिताब मिल चुका है, लेकिन जयपुर जिले की जाहोता और जवानपुरा ग्राम पंचायत इस मामले में अग्रणी है। यहां की साफ-सफाई...कचरा निस्तारण प्रबंधन और लोगों के बीच इसे लेकर जागरूकता देखते ही बनती है। भारत सरकार द्वारा जवानपुरा को राष्ट्रीय स्तर पर हैल्दी विलेज घोषित किया गया है वहीं जाहोता हेरिटेज विलेज के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है।

जयपुर शहर से करीब 26 किमी. की दूरी पर स्थित जालसू ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाहोता की साफ-सफाई और हेरिटेज स्वरूप को देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। यहां की राजकीय इमारतों पर आपको विशेष रंग और चित्रकारी देखने को मिलेगी। गांव की नर्सरी में तरह-तरह के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नालियों की साफ-सफाई के लिए गांव में 16 मैजिक पिट तैयार किए गए हैं। इन पिट में कचरा छानकर पानी को जमीन में छोड़ा जाता है, जो भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाता है। साथ ही कंपोस्ट पिट का भी निर्माण किया गया है जहां पर बायोडिग्रेडेबल कचरे (फल और सब्जियों के छिलके, फूल, पत्तियां आदि) को निस्तारित किया जाता है, जो कुछ समय में कंपोस्ट में परिवर्तित हो जाता है। इसे किसानों को खेत में इस्तेमाल करने के लिए

बनवारी लाल यादव
जनसंपर्क अधिकारी

बेच दिया जाता है। वहीं जयपुर शहर से करीब 80 किमी की दूरी पर स्थित विराटनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जवानपुरा में भी साफ-सफाई और कचरे के निस्तारण का दृश्य लगभग जाहोता जैसा ही है। जवानपुरा गांव में प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे आदि को छांट कर प्लास्टिक रीसाइक्लिंग फैक्ट्री को बेच दिया जाता है। जवानपुरा के सरपंच श्री जयराम पलसानिया ने बताया कि शुरुआत में इस अभियान को लेकर लोगों से ज्यादा सहयोग नहीं मिला, लोग प्लास्टिक को जला देते थे जिससे वायु प्रदूषण होता था। फल और सब्जियों के छिलके बाहर फेंक देते थे लेकिन अब उसे कंपोस्ट पिट में डाला जा रहा है।

जाहोता नर्सरी

इसके लिए राजिविका के सहयोग से एक स्वयं सहायता समूह द्वारा कचरा संग्रहण किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक घर से 10 रुपये लिए जाते हैं।

जाहोता गांव के सरपंच श्याम प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर पिछले 2 वर्ष से लगातार कार्य कर रही है और इस कार्य में आम जनता का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। यहां कचरा संग्रहण के लिए प्रत्येक घर से प्रति माह 120 रुपये जाते हैं और 106 घर अभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हर घर को कचरा संग्रहण जोड़ कर सहयोग राशि 50 रुपये प्रति माह रखी जाएगी।

जयपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधु कहते हैं कि गांवों को खुले में शौचमुक्त यानी ओडीएफ कर लेने के बाद अब एक-कदम आगे स्वच्छता की ओर बढ़ाया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से ''स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण'' के तहत ओडीएफ प्लस अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता को प्रत्येक व्यक्ति की आदत में शामिल कराने के संकल्प के साथ अब ग्राम पंचायत को ओडीएफ प्लस बना दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी इसमें काफी चुनौतियां हैं जैसे लोगों को

जाहोता ग्रीन हाउस

लगातार प्रोत्साहित करना और व्यक्तिगत Soak Pit बनाना।

जयपुर जिला कलक्टर श्री राजन विशाल ने बताया कि जयपुर जिले 606 ग्राम पंचायतों में से अभी 10 को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जाहोता और जवानपुरा ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप मे प्रदर्शित कर दूसरी ग्राम पंचायतों को भी ओडीएफ प्लस के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओडीएफ प्लस के लिए तीन स्तर पर कार्य जरूरी है। पहला व्यवहार में बदलाव, दूसरा सीवरेज संरचना का निर्माण और तीसरा रेवेन्यू मॉडल जिससे पंचायत आत्मनिर्भर बने और सरकार पर निर्भरता खत्म हो।

ओडीएफ प्लस में शामिल होने के मानक

- खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी
- ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय
- स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं पंचायती घर में क्रियाशील शौचालय
- स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्र पर बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय

जवानपुरा

- सामूहिक स्थानों पर जैविक या अजैविक कूड़ा या नाले में पानी एकत्रित न हो
- गांव में कूड़ा निस्तारण के लिए कूड़ेदान या गड्ढे
- सामुदायिक या व्यक्तिगत गोबर गड्ढे या बायोगैस प्लांट
- गांव में प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बना हो
- गांव में पांच मुख्य स्थानों पर स्वच्छता स्लोगन लिखे हों

भले ही सरकारी प्रयासों से पहले ओडीएफ और फिर ओडीएफ प्लस के लिए पहल हुई हो., लेकिन अब ये ग्रामवासियों की आदत में शुमार हो चुका है। इससे न केवल इन गांवों की सुंदरता बढ़ी है बल्कि

जाहोता पंचायत

मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी कम हुआ है।

ओडीएफ प्लस धीरे-धीरे प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों तक भी पहुंचेगा। इससे इन गांवों की स्वच्छता बेहतर होगी, वहीं ग्राम पंचायतों की आमदनी भी शुरू हो जाएगी। इसके तहत गांवों में कूड़ा निस्तारण का इंतजाम होगा, जहां जैविक और प्लास्टिक कूड़े को अलग-अलग किया जाएगा। इसमें जैविक कूड़े से खाद बनाई जाएगी, जबकि प्लास्टिक और अन्य पदार्थों को बेच दिया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि गांव के विकास पर खर्च होगी।

जवानपुरा मैजिक पिट

'पहला गांव, जो बना 'सेफ विलेज''

'महिला सरपंच की सोच से स्मार्ट हुई ग्राम पंचायत, शहरों की तरह सीसीटीवी कैमरों से लैस हुआ गांव'

बड़कोचरा गांव की सरपंच श्रीमती लक्ष्मी देवी कम्प्यूटर पर सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा फुटेज व्यवस्था का जायजा लेते हुए

सुविधा और सोच, समरसता और समन्वय कैसे किसी गांव की दशा और दिशा बदल सकते हैं, यह देखना है तो ब्यावर उपखण्ड की ग्राम पंचायत बड़कोचरा चले आइए। संभवतः यह राजस्थान की पहली ऐसी पंचायत होगी जो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। महिला सरपंच की स्मार्ट सोच से बड़कोचरा ग्राम पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस सकारात्मक पहल की चर्चा के साथ तारीफ हो रही है।

पंचायत ने सुरक्षा के लिए पंचायत की निजी आय से गांव के प्रमुख इलाकों में करीब 1 लाख 50 हजार रुपएकी लागत से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। अब इस गांव के लोग हर वक्त तीसरी नजर के पहरे में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गांव में होने वाली किसी भी घटना-दुर्घटना की जानकारी जगह-जगह कैमरे लगने से सहज मिल सकेगी, जांच में आसानी होगी और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा।

आपराधिक घटनाओं में कमी

बड़कोचरा निवासी बाबूसिंह के अनुसार गांव में पहले कई बार आपराधिक घटनाएं घटित हुई। वारदात के बाद आरोपियों की पहचान करने में परेशानी होती थी। बीते कुछ माह से गांव में लूटपाट, मारपीट की घटनाएं घटनाओं में बढोतरी हो रही थी। गांव में वारदात लगातार बढ़ने से सभी चिंतित हुए। इस पर पंचायत ने गंभीरता से विचार किया। घटनाओं पर नजर रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गांव में कैमरे लगाने का फैसला किया गया। ग्राम पंचायत ने सीसीटीवी कैमरे गांव के मुख्य स्थानों पर लगवाए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद आपराधिक घटनाओं में कमी हुई है। पंचायत के इस फैसले से गांव के लोगों को राहत मिली है।

हत्या के प्रकरण में अपराधियों तक पहुंचने में मिला सहयोग

पुलिस उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह के अनुसार क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत बड़कोचरा द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने का यह कदम बहुत सराहनीय है। इससे पुलिस प्रशासन को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी मदद मिल रही है।

हेमन्त छीपा
जनसंपर्क अधिकारी, ब्यावर

मेरे लिए ग्राम पंचायत का प्रत्येक नागरिक परिवार के सदस्य की तरह है। ग्रामवासियों की सुरक्षा के लिए ही यह महत्त्वपूर्ण फैसला लिया और पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। संभवत: बड़कोचरा ग्राम पंचायत पूरे प्रदेश में पहली ऐसी पंचायत है जहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दूसरे चरण में ग्राम पंचायत में मुख्य स्थानों तथा चौराहों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

लक्ष्मी देवी
सरपंच, ग्राम पंचायत बड़कोचरा

हर पंचायत में ऐसे नवाचारों की आवश्यकता है। इन कैमरों से अपराधियों में भी एक डर पैदा होता है जो कई बार ऐसी घटनाओं को घटित होने से पूर्व ही रोकने में कारगर सिद्ध होता है। उन्होंने बताया कि नजदीकी ग्राम पंचायत भुरियाखेडा में कुछ दिनों पूर्व हुई एक हत्या के प्रकरण को हल करने में भी बड़कोचरा में लगे इन सीसीटीवी कैमरों से अपराधियों तक पहुंचने में काफी सहायता मिली।

आइडी-पासवर्ड एसडीएम कार्यालय, पंचायत तथा पुलिस के पास

गांव में लगवाए गए समस्त कैमरों के आइडी पासवर्ड पंचायत कार्यालय के अलावा ब्यावर एसडीएम ऑफिस व जवाजा थाना पुलिस के पास भी हैं। अब इन कैमरों के जरिए गांव की गतिविधियां 24 घंटे लाइव देखी जा रही हैं। कोई भी अप्रिय घटना होने पर कैमरों की मदद से समाजकंटकों की पहचान करना आसान हो गया है। ग्राम पंचायत बड़कोचरा ने गांव के सभी मुख्य चौराहों और स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र, राजकीय विद्यालय, पंचायत भवन, भूरियाखेड़ा चौराहा, भेरूखेड़ा चौराहा, बड़कोचरा मुख्य चौराहा, पालना मुख्य चौराहा, देदाखेड़ा चौराहा, लोटियाना मार्ग, राजसमन्द सीमा देदखेड़ा पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

माधोराजपुरा ग्राम पंचायत ने लिखी विकास की नई इबारत

जयपुर जिले की पंचायत समिति माधोराजपुरा की माधोराजपुरा ग्राम पंचायत में विगत वर्ष में किए गए विकास के कार्य अब नजर आने लगे हैं। आने वाले दिनों में मानसून के पानी को सहेजने की तैयारी में ग्राम पंचायत में नरेगा के अन्तर्गत कई नाड़ियों की खुदाई कार्य किया गया है। कई सड़कों से झाड़ियां हटाकर उन्हें यातायात के लिए सुगम बनाया गया है, जहां पहले दो पहिया वाहन भी नहीं चल पाते थे वहीं अब चौपहिया वाहनों को भी चलने में सुभीता हो रहा है।

ग्रामीण विकास की इस नजीर में मनरेगा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक करोड़ 50 लाख रुपये खर्च कर कई ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया गया है। ग्राम पंचायत माधोराजपुरा में ही स्थानीय लोगों की सहभागिता से 1100 पौधे लगाए गए हैं और उनको जीवित रखने के लिए नियमित पानी की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष दो अक्टूबर से 17 दिसम्बर तक चलाए गए प्रशासन गांवो के संग अभियान में पूरी पारदर्शिता से 101 पट्टे जारी कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई है। यहां की सरपंच श्रीमती हीरा देवी सरसूण्डिया की सक्रियता से यहां राजकीय विद्यालय की चार दीवारी का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। ग्राम माधोराजपुरा में शिव सागर तालाब को जोड़ने वालीं पुरानी नहरें जो कि पूर्व में बंद हो चुकी थी वापस खुदाई कार्य करवाकर उनकी कायापलट के प्रयास किए जा रहे हैं। चाकसू सड़क से गांव में आने वाला रास्ता जो कि कई वर्षो से बंद था, उसे खुलवाया गया है एवं सीसी सड़क निर्माण कार्य भी प्रगतिरत है। इस ग्राम पंचायत की आबादी करीब 10 हजार है।

हीरा देवी जाट (सरसूण्डिया)
सरपंच, माधोराजपुरा ग्राम पंचायत

'' सरपंच चुने जाने के बाद मैने गांव में पानी की समस्या के निवारण, सड़कों, बाजार, स्कूल की सफाई, पौधारोपण, सड़क निर्माण के लिए प्रयास किए हैं। मार्गो पर जंगली वनस्पतियों को हटाकर यातायात सुलभ करने का प्रयास किया है। प्रशासन गांवों के लिए अभियान में भी हमने रेकॉर्ड 101 पट्टे जारी किए है। इन सभी कार्यो में मुझे प्रशासन के साथ पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है। ''

राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस

यूं बण्यो गर्वीलो-रंगीलो राजस्थान

राजस्थान को स्वतंत्रता पूर्व जहां रजवाड़ों की शान-शौकत एवं शौर्य गाथाओं से जाना जाता था, वहीं आज प्रदेश कई क्षेत्रों में देश-विदेश में अलग पहचान रखता है। यहां के किले-महल आज भी गौरव गाथाओं का बखान करते हैं। बोलियों की विविधता के बावजूद उनका मिठास व अपनापन बरकरार है। तीज-त्योहारों, मेले-उत्सवों में संस्कृति एवं परम्पराओं का चलन आज भी बदस्तूर जारी है। ऐतिहासिक धरोहर, थार के धोरे, बावड़ी व झीलों के साथ अभयारण्यों में वन्य जीवों की अठखेलियों को देखने प्रतिवर्ष लाखों देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान भ्रमण पर आते हैं।

भारत का सबसे बड़ा भू-भाग होने का गौरव होने के साथ ही इंदिरागांधी नहर से खाद्यान्न उत्पादन, खनिज सम्पदा, पेट्रोलियम उत्पाद की दिशा में बढते कदम, सौर एवं पवन उर्जा की संभावनाओं से राजस्थान का सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। प्रदेश ने जैतून की खेती, बीकानेर में जैतून रिफाइनरी की स्थापना, जयपुर में जैतून की चाय के उत्पादन से विश्वभर में अलग पहचान बनाने का कार्य किया है। औद्योगिक दृष्टि से भी राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के अलावा नीमराणा में जापानी औद्योगिक कॉरिडोर, बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना के साथ सरकार द्वारा तहसीलवार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आरक्षित करने से अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं।

प्रदेश में होकर गुजर रहा दिल्ली-मुम्बई हाई-वे, पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना आने वाले समय में समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ते कदम साबित होंगे। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एवं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात योजना के चलते निवेशक यहां आ रहे हैं। इससे लगता है अब राजस्थान तेजी से देश में अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में शामिल हो रहा है।

आलेख : हरिओमसिंह गुर्जर
उप निदेशक, कोटा

> विराट काठ की पुतलियों, विशाल बहुरंगी पगड़ी, चंग-ढप की थाप पर आत्म रक्षा कला, मीराबाई के समर्पण पद, सूफी कलाम, कालबेलिया नृत्य, मांगणियार लोक संगीत, चरी नृत्य के साथ 'केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश', देशभक्ति गीत और कव्वाली से सजी शाम पर मौके को यादगार बनाते हुए 550 से अधिक कलाकारों ने राजस्थान की सांस्कृतिक कला और विरासत को जीवन्त किया।

छाया : आलोक शर्मा, हरिशंकर शर्मा

...यूं बण्यो गर्वीलो-रंगीलो राजस्थान

इतिहास के झरोखे से...

- वर्ष 1800 में राजस्थान के भू-भागों पर राजपूत राजाओं की सत्ता के कारण सर्वप्रथम 'राजपूताना' शब्द का प्रयोग जार्ज थॉमस द्वारा किया गया।
- वर्ष 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर पर आधिपत्य कर समस्त रियासतों को दो वर्ग रियासत तथा ठिकानों में विभाजित किया।
- कर्नल टॉड ने 1829 में उनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तान्त पुस्तक ''एनाल्स एण्ड एन्टीक्विटीज आफ राजस्थान'' में इस राज्य का नाम राजस्थान बताया जो राजाओं के राज्य का प्रतीक था।
- ब्रिटिश शासकों ने राजपूताना को प्रशासनिक दृष्टि से चार एजेन्सियों में बांटा और प्रत्येक रियासत में एक-एक रेजीडेन्ट तथा अजमेर में पॉलिटिकल एजेन्ट नियुक्त किया।
- 23 जून 1947 को भारत स्वातंत्रय कानून से देशी रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान के साथ मिलाने की छूट दी गई।
- 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर तथा अलवर रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर स्वतंत्र रहने का निर्णय किया जबकि उदयपुर, कोटा तथा बीकानेर रियासतों ने भारत संघ के साथ मिलने का निर्णय लिया।
- राजपूताना के नरेशों ने तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की चतुराई एवं दूरदर्शिता से भारत संघ में मिलना स्वीकार किया।
- तत्कालीन राजपूताना की 19 रियासतों एवं तीन चीफशिप (ठिकानों) वाले क्षेत्रों को विभिन्न चरणों में एकीकृत कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया। एकीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया सात चरणों में सम्पन्न हुई।
- राजस्थान राज्य भौगोलिक आधार पर नौ क्षेत्रों में विभाजित है। जिनमें अजेयमेरु (अजमेर), हाड़ौती, ढूंढ़ाड़, गोड़वाड़ (गोरवार), शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़, वागड़ और मेवात हैं।
- राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु चिंकारा/ऊंट, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य नृत्य घूमर, राज्य गीत केसरिया बालम, राज्य मिठाई घेवर है।

राजस्थान का एकीकरण

- राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन या 3144 दिन लगे।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देशी रियासतों को आत्म निर्णय का अधिकार दिया गया था। एकीकरण के लिए 5 जुलाई, 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व सचिव वी.पी. मेनन थे। रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने के लिए दो शर्त रखी गईं। प्रथम, जनसंख्या 10 लाख से अधिक एवं दूसरा, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिये।
- तत्कालीन समय में इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान 19 देशी रियासतों एवं तीन ठिकानों में विभक्त था।
- राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया सन् 1948 से आरंभ होकर सन् 1956 तक सात चरणों में सम्पन्न हुई।

प्रथम चरण: मत्स्य संघ की स्थापना

- सर्वप्रथम 27 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली रियासतों के एकीकरण से 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। राजधानी अलवर तथा राजप्रमुख धौलपुर महाराजा श्री उदयभानसिंह बनाये गये।
- मत्स्य संघ का क्षेत्रफल करीब तीस हजार किमी. था। जनसंख्या लगभग 19 लाख और सालाना-आय एक करोड़ 83 लाख रुपये थी। जब मत्स्य संघ बनाया गया तभी विलय-पत्र में लिख दिया गया कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा।

द्वितीय चरण: पूर्व राजस्थान का निर्माण

- द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाडा एवं शाहपुरा रियासतों को मिलाकर पूर्व राजस्थान का निर्माण किया गया।
- कोटा को इसकी राजधानी तथा महाराव श्री भीमसिंह को राजप्रमुख बनाया गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय खनिज एवं विद्युत मंत्री श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया।
- बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को मनाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। इसके पीछे मंशा यह थी कि बडी रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराणा को राजप्रमुख बनाया जाएगा और बूंदी के महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीमसिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होने से बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया।

तृतीय चरण: संयुक्त राजस्थान

- राजस्थान के तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान के साथ उदयपुर रियासत को मिलाकर 18 अप्रेल 1948 को नया नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, जिसकी राजधानी उदयपुर तथा मेवाड़ महाराणा भूपालसिंह को राजप्रमुख कोटा के महाराव भीमसिंह को उपराजप्रमुख बनाया गया।
- माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसका उद्घाटन 18 अप्रेल 1948 को ही उदयपुर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया।

चतुर्थ चरण: वृहत् राजस्थान

- राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के चौथे चरण में 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा और जैसलमेर रियासतों को वृहद राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा की।
- बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए 30 मार्च 1949 को जयपुर में आयोजित एक समारोह में वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। इसकी राजधानी जयपुर तथा उदयपुर के महाराणा भूपालसिंह को महाराज प्रमुख, जयपुर के महाराजा मानसिंह को राजप्रमुख तथा कोटा के महाराव भीमसिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया।

पंचम चरण: संयुक्त विशाल राजस्थान

- 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में विलय कर देने से संयुक्त विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ। नीमराना को भी इसमें शामिल कर लिया गया।

षष्टम चरण: वर्तमान राजस्थान

- राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। इस कारण सिरोही रियासत का कामकाज दोवागढ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी कौंसिल देख रही थी जिसका गठन भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था।
- सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू-देलवाडा को लेकर विवाद के कारण आबू देलवाडा तहसील को बंबई और शेष रियासत 26 जनवरी 1950 को संयुंक्त विशाल राजस्थान में विलय हो जाने पर इसका नाम 'राजस्थान' कर दिया गया।

सप्तम चरण

- राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की सिफारिशों के आधार पर 1 नवम्बर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने से अजमेर-मेरवाड़ा, आबू तहसील को राजस्थान में मिलाया गया।
- इस चरण में कुछ भाग इधर-उधर कर भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई। इसके तहत मध्यप्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया और झालावाड़ जिले का सिरनौज को मध्यप्रदेश को दे दिया गया।

छाया: फूलचन्द चौधरी

खेत से खलिहान, खुशहाल किसान

मनीष गोधा
वरिष्ठ पत्रकार

कहते हैं कि किसान इस धरती का सबसे साहसी उद्यमी होता है। वो अपना पैसा और पसीना एक ऐसे काम में लगाता है जिसका परिणाम क्या होगा, उसे खुद नहीं पता होता। महीनों खून पसीना बहाने के बाद खेत में लहलहाती फसल उसे असीम सुख देती है, लेकिन यह खड़ी फसल अचानक एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार बन जाती है या फिर बाजार का भाव इतना नीचे गिर जाता है कि उसे अपनी मेहनत का फल कचरे के ढेर में डालना पड़ जाता है और किसान व उसके परिवार के सारे सपने उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, जिस मिट्टी से उसने वह फसल उगाई थी।

यही कारण है कि किसान को सरकार के सम्बल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देश के निर्माण में हर व्यक्ति का योगदान होता है, लेकिन किसान वो व्यक्ति है कि जिसकी फसल अच्छी निकल गई तो वह पूरे देश को निहाल कर देता है। एक अच्छी फसल पूरी अर्थव्यवस्था में जान डाल देती है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत किसान के इस महत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं और इस बार अलग से पेश किया गया कृषि बजट खेती, किसानी और इससे जुड़े तमाम पक्षों, क्षेत्रों और व्यवसायों के प्रति उनकी समग्र दृष्टि का परिचय देता है।

राजस्थान में इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह पहल कर न सिर्फ इतिहास कायम किया है, बल्कि एक नई परम्परा को जन्म दिया है जो आने वाली सरकारों को भी इसी रूप में माननी होंगी।

आखिर अलग कृषि बजट क्यों?

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जब कृषि बजट पेश किया था तो कृषि विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन की इस पंक्ति का उल्लेख किया था ''यदि देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति सम्भव नहीं है''। अलग कृषि बजट की आवश्यकता इस पंक्ति में ही समाहित है।

एक समय था जब खेती का मतलब सिर्फ खाद, बीज और पानी की उपलब्धता से हुआ करता था। किसान को यह तीन सुविधाएं समय से उपलब्ध करवा दी जाती थीं और बाकी सब किसान अपने दम पर ही

करता था। आज ऐसा नहीं है खेती से इतने क्षेत्र जुड़े हुए हैं कि यह अपने आप में एक वृहद क्षेत्र बन गया है।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय देश की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लाई गई हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। आज खेती से मिट्टी जांचने की प्रयोगशाला से लेकर नीम कोटेड यूरिया, सिंचाई के लिए नहरी तंत्र की उपलब्धता से लेकर सोलर एनर्जी के जरिए बिजली की उपलब्धता, ग्रीन हाउस के लिए अच्छी प्लास्टिक से लेकर, बूंद-बूंद सिंचाई के लिए अच्छी किस्म के पाइप, उन्नत बीज से लेकर बढिया खाद, खेत तैयार करने के लिए ट्रेक्टर से लेकर कटाई के लिए जरूरी उपकरणों, अच्छी फसल के लिए कीटनाशकों, तैयार फसल के लिए अच्छी मंडियों, कृषि प्रसंस्करण के लिए घरेलू और बडी औद्योगिक इकाइयों और सबसे जरूरी समय पर ऋण की व्यवस्था सहित ना जाने कितनी तरह की चीजों और व्यवस्थाओं की जरूरत पडती है। खेती से आज सिर्फ किसान का घर नहीं पलता, बल्कि ना जाने कितने छोटे-बडे उद्योग चलते हैं और उनमें काम करने वालों के घर पलते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का 30 प्रतिशत हिस्सा कृषि और सम्बन्धित गतिविधियों से आता है और करीब 85 लाख परिवारों का जीवनयापन होता है।

इसी को देखते हुए कृषि के लिए अलग बजट की जरूरत महसूस की जा रही थी। कृषि से मोटे तौर पर बिजली, सिंचाई, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, कृषि विपणन जैसे कई विभाग सीधे तौर पर जुड़े हैं। इनके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, शोध व अनुसंधान केन्द्र, कृषि चैनल और अन्य कई विभाग भी इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जुडे हैं।

11 मिशन समग्र दृष्टिकोण के परिचायक हैं। कृषि के इस विस्तृत क्षेत्र को सिर्फ इस तरह से कवर नहीं किया जा सकता कि इससे जुडे विभिन्न विभागों की घोषणाओं को एक साथ लाकर उसे कृषि बजट के रूप में पेश कर दिया जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि ये सभी विभाग आपस में जुड़ कर पूरे समन्वय के साथ काम करें और इसके लिए जरूरी है मिशन मोड। यानी कुछ ऐसे मिशन तय किए जाएं, जिससे विभागों में समन्वय भी बने और एकमुखी हो कर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकें।

इसी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के पहले कृषि बजट को 11 मिशन में बांटा। ये मिशन एक तरह से पूरे कृषि बजट का सार हैं और इस बात का परिचायक हैं कि मुख्यमंत्री ने किस समग्र दृष्टि से यह कृषि बजट तैयार किया है।

ये मिशन इस प्रकार हैं

- **राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन–** इसके तहत अगले एक वर्ष में 2700 करोड रुपये खर्च कर पांच लाख किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान जैसे जल संकट वाले प्रदेश के लिए सूक्ष्म सिंचाई बेहद आवश्यक है।
- **जैविक खेती मिशन –** रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान पहुंचाया और इसे बहाल करने के लिए जैविक खेती ही उपाय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसके तहत 600 करोड़ का प्रावधान कर चार लाख किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया गया।
- **राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन–** उन्नत बीज अच्छी फसल की प्रथम आवश्यकता है। इसे देखते हुए ही इस मिशन के तहत स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना करते हुए 12 लाख लघु सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के बीज के निशुल्क मिनिकिट दिए जाएंगे।
- **राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन–** राजस्थान मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का आदि के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इसी को देखते हुए इस मिशन के तहत 100 करोड़ रुपये का व्यय कर 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमे 10 लाख किसानों को 25 करोड़ के निशुल्क बीज एवं 2 लाख किसानों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बायोपेस्टिसाइड के मिलेट्स की प्रथम 100 प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए 40 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स बनाया जाएगा।

शेष सभी छाया:राजेन्द्र शर्मा

- **राजस्थान संरक्षित खेती मिशन–** ग्रीनहाउस खेती कृषि क्षेत्र का नवाचार है और काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसी को देखते हुए इस मिशन के तहत 25000 किसानों को ग्रीन हाउस शेडनेट हाउस लो टनल स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये अनुदान दिया जाएगा।
- **राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन–** परम्परागत फसलों के साथ ही अब उद्यानिकी फसलों को भी बहुत लाभदायक माना जाने लगा है, क्योंकि इसके साथ प्रसंस्करण का काम भी जुड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए इस मिशन के तहत 15000 किसानों को 100 करोड़ रुपए के खर्च से लाभान्वित किया जाएगा।
- **राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन–** किसानों की खड़ी फसलों को नीलगाय और अन्य पशु नुकसान पहुंचा जाते हैं। इसी को देखते हुए इस मिशन के तहत 1 करोड़ 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे 35 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
- **राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन–** फ्लड इरीगेशन और रासायनिक खादों के इस्तेमाल के कारण प्रदेश का बड़े हिस्से में जमीन खराब हुई है। इसी को देखते हुए इस मिशन भूमि सुधार और हरी खाद के इस्तेमाल से 2 लाख 25 हजार किसान लाभान्वित किए जाएंगे।
- **राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन–** कृषि क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों की अहम भूमिका है। ये ही अपने खून पसीने से खेत और फसल तैयार करते हैं। इन्हें संबल देने के लिए इस मिशन के तहत 2 लाख श्रमिकों को हस्तचलित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा।
- **राजस्थान कृषि तकनीक मिशन–** आज कृषि में तकनीक और यंत्रों का उपयोग बहुत बढ़ गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर कृषक उत्पादन संगठन तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1000 ड्रोन, आईटी मोबाइल एप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाएगा।
- **राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन–** कृषि के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण अब एक बड़ा उद्यम बन गया है जिससे कई छोटे बड़े उद्योग जुडे हुए हैं। ऐसे में इस मिशन के तहत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी।

इस तरह ये मिशन कृषि और इसके सहायक क्षेत्रों की लगभग हर गतिविधि को आपस में जोड़ रहे हैं और कृषि बजट को एकमुखी कर किसानों के लिए हितकारी बना रहे हैं।

अन्य घोषणाएं

- मुख्यमंत्री ने कृषि बजट में कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य विभाग जैसे सहकारिता, डेयरी व पशुपालन, बिजली, सिंचाई आदि की भी घोषणाओं को शामिल किया है। इसके जरिए प्रयास यही किया गया है कि इन विभागों में कृषि से सम्बन्धित जो भी काम होते हैं, उनमें आपस में समन्वय बना रहे और सभी का लाभ समग्र तौर पर किसान को मिले।

बजट में की गई अन्य प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं–

- एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। जिसमें सरकार के 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे, इसके साथ ही एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 45 हजार का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।
- 2 वर्षों में बकाया 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिसमें 6700 करोड़ रुपये सरकार के खर्च होंगे।
- ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रुपए की राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है. इसमें 5 लाख नए किसानों को शामिल किया गया है, जिसमें सरकार के 650 करोड़ रुपए ब्याज अनुदान के तौर पर खर्च होंगे।
- अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को 2000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे।
- राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे

3 सालों में करीब 14860 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य किए जाएंगे। 550 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ होगा।

- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत 9600 करोड़ रुपये की विभिन्न कार्य करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है।
- राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से वितरिकाओं, माइनरों के जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे।
- राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 2 सालों में 2600 करोड़ रुपये की लागत से जल संग्रहण व संरक्षण संबंधी कार्य पूरे किए जाएंगे।
- 220 करोड़ रुपए की लागत से 11 मिनी फूड पार्क, चैनपुरा निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क बनाया जाएगा।
- कोटा में जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना की जाएगी।
- 2 सालों में 4171 गांव पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस स्थापित किए जाएंगे।
- 18 नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा।
- 51 नए मिल्क रूट्स बनाए जाएंगे।
- 5000 नई डेयरी बूथ बनाए जाएंगे।
- ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति बनाई जाएगी
- 12 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- पंचायत समिति स्तर पर संचालित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में ब्लॉक वेटरनरी हेल्थ ऑफिसर एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।
- 6 लाख पशुपालकों को पशु बीमा का लाभ दिया जाएगा, जिसमें 150 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
- पशु आहार की गुणवत्ता के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा।

टिड्डियों के हमले से बचने के लिए 1000 ड्रोन दिए जाएंगें

- राजस्थान उद्यानिकी विकास निगम की स्थापना होगी और मसाला फसलों का 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया है।
- संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होगा।
- अगले 2 साल में 20 हजार किसानों को 400 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा।
- 3 लाख पशुपालकों को हरा चारा बीज मिनी किट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 150 करोड़ रुपये दिया जाएगा।
- मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा।
- सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी।
- 4171 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति जीएसएस बनेंगी।
- नहर परियोजना निगम का गठन होगा।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना में भी 600 करोड़ रुपए से जीर्णोद्धार और सिंचाई संबंधी कार्य कराए जाएंगे।
- पशु आहार की गुणवत्ता के लिए हर जिले में टेस्टिंग लैब खोली जाएगी।

ई-नाम योजना : दाम भी ईनाम भी

किसान की आय बढ़ाने में सहायक

केसर सिंह
उप निदेशक (ई-नाम), कृषि विपणन विभाग

राजस्थान राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित राजस्थान अपनी सीमाएं पाकिस्तान के अतिरिक्त गुजरात, मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के साथ साझा करता है। राज्य की अधिकांश आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों, जैसे पशुधन और वानिकी पर निर्भर है। राज्य में कोरोना आपदा के कारण विषम वातावरण के बावजूद भी आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में देश का 78.62 प्रतिशत ग्वार, 46.28 प्रतिशत सरसों, 45.56 प्रतिशत बाजरा, 23.44 प्रतिशत चना तथा 19.42 प्रतिशत दालों का उत्पादन हुआ है। राज्य में अधिकांश खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष में केवल एक ही फसल लेना संभव है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है परंतु राज्य में भूजल स्थिति बहुत विषम है। प्रदेश में 90 प्रतिशत वर्षा मानसून सत्र में होती है। राज्य में कृषि विकास के समक्ष सबसे बड़ी बाधा वर्षा की अनिश्चितता, कमी तथा सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता है। इसके साथ ही प्रदेश को हर वर्ष अनावृष्टि और असमान वर्षा वितरण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण राज्य में बोये जाने वाले कृषि क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में प्रति वर्ष उतार-चढ़ाव होते रहते हैं।

आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल -342.68 लाख हैक्टेयर है। इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल - 52.58 प्रतिशत (180.32 लाख हैक्टेयर) तथा खाद्यान्न का कुल उत्पादन 225.20 लाख टन अनुमानित है। आर्थिक समिक्षा 2021-22 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 30.23 प्रतिशत है। किसान को खेत की उपज बेचने के लिए बाजार की जरूरत रही। बाजार में किसानों को उपज का उचित मूल्य बिना कोई कटौती के मिले इसके लिए वर्ष 1961 में राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम पारित किया गया था जो वर्ष 1964 में लागू हुआ। यह अधिनियम मंडियों पर नियमन, नियंत्रण तथा किसानों के हितों की रक्षा करता है तथा किसानों को उनकी उपज का उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना, कृषकों की कृषि उपज के विपणन में अवैध कटौतियों से मुक्ति दिलाना, मण्डी प्रांगणों में कृषकों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना, कृषि विपणन के ढांचे को सुदृढ करना, मण्डी क्षेत्रों का वर्गीकरण करना आदि इसका मुख्य काम रहा है।

अभी तक किसान को अपना उत्पाद केवल उसी मंडी के आढतियों को ही बेचना पडता था, जहां वह उपज लेकर पहुंचता था तथा कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता था और बेची गई फसल का समय पर पैसा नहीं मिलना भी

एक बड़ी समस्या थी। इसके अतिरिक्त मण्डियों में किसान के उत्पाद को तोलने के लिए आधुनिक तुलाई की मशीन, उत्पाद को साफ करने लिए कोई सुविधा भी नहीं थी। उत्पाद कैसा है? उसमें मिलावट कितनी हैं? गुणवता कैसी है? तिलहन में तेल कितना है? जैसी उपज की परख जो आढतिया ने कर दी तथा बोली जो उस मण्डी के आढ़तिये ने लगा दी वही मान्य होती थी, किसान का कोई निर्णय लागू नही होता था। इसके अतिरिक्त और भी कई समस्याएं थीं जिसके कारण किसान को अपने उत्पाद का उचित दाम नहीं मिल पाता था। इन्ही मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम स्कीम (eNAM Mandi) पोर्टल की शुरुआत की है। ई-नाम पोर्टल 14 अप्रैल 2016 से कार्य करने लगा तथा सबसे पहले राज्य की विभिन्न चयनित 25 मंडियों में लागू किया गया है। eNAM (National Agriculture Market एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रनिक ट्रेडिंग पोर्टल है इसमें कृषि उत्पादों के लिए संघटित राष्ट्रीय बाजार को तैयार कर राज्य

की 144 मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसके तहत ऑनलाइन गेट एंट्री, ऑनलाइन आधुनिक तोलने की मशीन, ऑनलाइन परख प्रयोगशाला, उत्पाद की सफाई तथा ग्रेडिंग के लिए स्वचालित मशीन, ऑनलाइन नीलामी, किसान के खाते में तुरन्त ई-भुगतान, इनामी कूपन आदि कार्य होने लग गए हैं। इसके अतिरिक्त किसान अपने उत्पाद को मण्डी में स्थित परख प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन रियल टाइम भाव के अनुसार राज्य तथा देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इस प्रकार राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार अथक प्रयास रही है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में दिनांक 14 अप्रेल 2016 को कोटा जिले की रामगंज मण्डी से राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पायलट रूप में प्रारम्भ किया गया था तथा वर्तमान में 144 कृषि उपज मण्डी समितियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) से जोड़ा जा चुका तथा संचालन हो रहा है। राजस्थान में ई-नाम से 14 लाख 93 हजार 131 किसान, 79 हजार 950 ट्रेडर, 24 हजार 808 कमीशन, एजेंट 194 सेवा प्रदाता तथा 194 कृषक उत्पादक संगठन रजिस्टर्ड हुए। राज्य में राष्ट्रीय कृषि बाजार के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषक-व्यापारी पंजीकरण, आवक के प्रवेश पत्र, परख जांच, ई-नीलामी, ई-भुगतान आदि कार्य किए जा रहे हैं। ई-नाम मण्डी समितियों में गुणवत्ता जांच हेतु राज्य सरकार के अथक प्रयासों से असेयिंग लैब तथा आधुनिक ऑयल टेस्टिंग मशीनों की स्थापना की गयी है।

राजस्थान में लगभग 90 कृषि जिन्सों पर ई-व्यापार किया जा रहा है। राज्य की सभी ई-नाम मण्डी समितियों में आधुनिक सुविधाएं जैसे ई-प्रवेश पत्र हेतु इलेक्ट्रॉनिक चैकपोस्ट, ई-नाम सहायता केन्द्र, जिन्सों की जांच हेतु आधुनिक परख प्रयोगशाला, ई-नीलामी में भाग लेने हेतु कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट युक्त हॉल, लाइव ई-ट्रेडिंग डिस्प्ले बोर्ड,

नीलामी पश्चात् तुलाई हेतु इलेक्ट्रॉनिक तुलाई कांटे व इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। ई–नाम परियोजना में पंजीकृत 14 लाख 90 हजार 180 किसान व 80 हजार 8 सौ 27 व्यापारियों द्वारा परियोजना के आरम्भ से माह मार्च, 2022 के अन्त तक 43 लाख 96 हजार ढेरी का ई–व्यापार कर 157 करोड़ 51 लाख रुपए का किसानों के खाते में ई–भुगतान किया गया।

ई–नाम योजना में किसानों को कृषि उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए परख प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। पहले किसानों के कृषि उत्पाद की परख व्यापारी तथा आढ़तिया द्वारा की जाती थी। जिसमें कोई वैधता नहीं होती थी, यह परख अनुभव के आधार पर की जाती थी। इससे किसान तथा व्यापारी दोनों को ही नुकसान होता था। किसान को कम कीमत मिलती थी तथा व्यापारी को उचित माल नही मिल पाता था। अब कृषि उत्पाद की परख (असेसिंग) विभिन्न मशीन द्वारा की जाती है। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलने लग गया है। व्यापारी को भी सही उत्पाद मिलने लग गया है। इसके अतिरिक्त ई–नाम पर किसान अपने उत्पाद को राज्य एवं देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है। किसान अपने उत्पाद को मण्डी की परख प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार जहां ज्यादा दाम मिलता है वहां राज्य एवं देश के किसी कोने में बैठे व्यापारी को बेच कर अच्छी कीमत ले सकता है। अब पूरे राज्य एवं देश की मण्डियां एक मण्डी के रूप में कार्य करेंगी। ई–नाम पर विक्रय करने वाले किसान को अब उपज के भुगतान के लिए भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब पैसा सीधा उसके खाते में ही ई–भुगतान किया जाता है। किसान अपने उत्पाद को ई–नाम के किसान रथ एप द्वारा बुक करवाकर दूसरे राज्य में भेज सकता है। इसमें किसान का पैसा भी बचता है तथा माल सुरक्षित पहुंच जाता है। मण्डी द्वारा फसल बेचने वाले किसान को राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषक उपहार योजना के तहत प्रति दस हजार की विक्रय पर्ची पर एक ईनामी कूपन तथा खाते में भुगतान पाने वाले किसान को भी प्रति दस हजार पर एक ईनामी कूपन दिया जाता है। इन कूपन की मण्डी तथा संभाग स्तर पर प्रति छह माह में तथा राज्य स्तर पर प्रति वर्ष लॉटरी निकाली जाती है जिसमें मण्डी स्तर पर कुल 50 हजार रुपए के तीन–तीन पुरस्कार, सम्भाग स्तर पर कुल 1 लाख के तीन पुरस्कार तथा राज्य स्तर पर कुल 5 लाख के तीन पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इस प्रकार किसान को ई नाम से ज्यादा लाभ है क्योंकि किसान को अपने उत्पाद के पैसे के साथ ईनाम भी मिल जाता है।

''गतिशीलता आदर्श समाज की पहचान''

"We Are Indians, Firstly and Lastly"

B.R. AMBEDKAR

बाबा साहब की जयन्ती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते मुख्यमंत्री

अनिता सोनकर
वरिष्ठ शिक्षक

आशाराम खटीक
जनसम्पर्क अधिकारी

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में कुछ ऐसे युग-पुरुष पैदा हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास की विकासधारा को नया मोड़ दिया। सामाजिक विकास एवं न्याय के नये द्वार प्रशस्त करने वाले आधुनिक भारत के गणतंत्र निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का नाम उनमें प्रमुख है। उन्होंने राष्ट्र के अतीत में झांककर उसके पराभव और पतन के तत्कालीन कारणों का गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जाति-प्रथा, छूआछूत एवं ऊंच-नीच की भावना ने भारत को इतना अशक्त बना दिया कि उसे पराधीनता स्वीकारनी पड़ी।

शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। ठोस तर्कों के आधार पर उन्होंने प्रतिपादित किया कि वर्ण-व्यवस्था ने समाज को निर्जीव, गतिहीन तथा पंगु बना दिया है, इसलिए भारतीय समाज को गतिशील एवं ऊर्जावान बनाने हेतु सामाजिक क्रान्ति की जरूरत है। जाति-प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने बहुत काम किया और इसकी आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए जो कुछ उस समय कहा वह आज भी उतना ही प्रासंगिक व अर्थपूर्ण है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विषयों पर उनके बहुतेरे विचार इमारे लिए यथावत प्रेरणास्पद हैं। ''जाति का उन्मूलन'' पुस्तक में उन्होंने लिखा कि - ''एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए। यदि समाज के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों में भी पड़ सके, इसके लिए साधन होना चाहिए। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व-भावना से सम्पन्न होता है। इन सबका वितरण तथा उपभोग सबके द्वारा सबके हित में होना चाहिए। समाज के सभी सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मिलने-जुलने का अवसर होना चाहिए। अत: उनमें एक निश्चित संगठन का होना आवश्यक है।''

महिला सशक्तीकरण के पक्षधर प्रणेता के रूप में उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक रहते हुए अपने अधिकारो का ध्यान रखना चाहिए। वे मानवाधिकारों के भी प्रबल प्रवक्ता एवं समर्थक थे। उन्होंने कहा था - ''शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'' शिक्षा के महत्त्व को समझाते हुए बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है।

विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र की प्रारंभिक पाण्डुलिपि को तैयार करने वाले डॉ. अंबेडकर के विराट व्यक्तित्व को शब्दों में मुखरित कर पाना संभव नहीं। डॉ. अम्बेडकर महान् राजनीतिज्ञ, जननेता, समाज-सुधारक, सामाजिक चिन्तक, दार्शनिक, विधिवेत्ता, विचारक, अर्थशास्त्री, प्रखर पत्रकार एवं सुधी लेखक होने के साथ ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। संवैधानिक सुधारों, राष्ट्रीय-आर्थिक समस्याओं व समसामयिक विषयों पर उन्होंने जो कुछ कहा उसे अनुभव या ठोस तथ्यपरक कसौटी पर कसकर कहा। कल्याणकारी प्रशासन-व्यवस्था के लिए उन्होंने संविधान के रूप में एक ऐसा पवित्र दस्तावेज दिया जो हमारे नैतिक दिग्दर्शक एवं मार्गदर्शक की भूमिका बखूबी निभाता आया है, निभा रहा है और निभाता रहेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा के साथ संवैधानिक उपायों का सहारा लिया जाए। संवैधानिक संस्थाओं का अतिक्रमण न हों, संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा के साथ ही संविधान की अक्षरश: पालना लागू हो। यही संकल्प समता के युग दृष्टा बाबा साहेब के सपनों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

प्राचीन जैन मन्दिर प्रवेश द्वारा 1866 में बनाया गया स्कैच

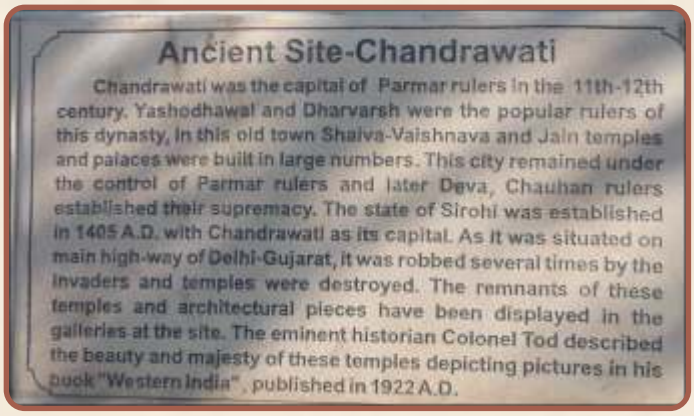

समय की रेत पर उकरे सभ्यता के चिन्ह

डॉ. रविन्द्र गोस्वामी
भारतीय प्रशासनिक सेवा

आपको कितना विस्मय होगा जब आपको यह पता लगेगा कि राजस्थान के दक्षिण में हजारों वर्ष पुरानी एक सभ्यता विद्यमान थी जो अपने वैभव के चरम पर एक महानगर जितनी विशाल और आकर्षक थी।

हम बात करते हैं चंद्रावती सभ्यता की जो माउंट आबू के पर्वतों से कुछ ही दूरी पर स्थित थी। यह माना जाता है कि आदिम काल से ही यहाँ मानव का निवास था तथा हाल ही में खोजे गए भित्ति चित्रों के माध्यम से अब इस सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन होने के अनुमान हैं।

चंद्रावती नगरी की स्थापना लगभग 57 ई.पूर्व मौर्य गवर्नर राजा पाण्डु के द्वारा की गयी थी। कालांतर में इसके वैभव में दिनोंदिन बढ़ोत्तरी होती गयी तथा परमार शासकों के द्वारा इसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया गया। 11वीं-12वीं सदी में यह नगरी एक महा नगरी के स्तर तक पहुंच चुकी थी तथा संवत 1503 में सोमधर्म रचित 'उपदेश सप्तसति' ग्रंथ में चन्द्रावती के 444 जैन मंदिर तथा 999 शेष मंदिरों का उल्लेख किया है जो उस समय के इस नगरी के वैभव को दर्शाता है।

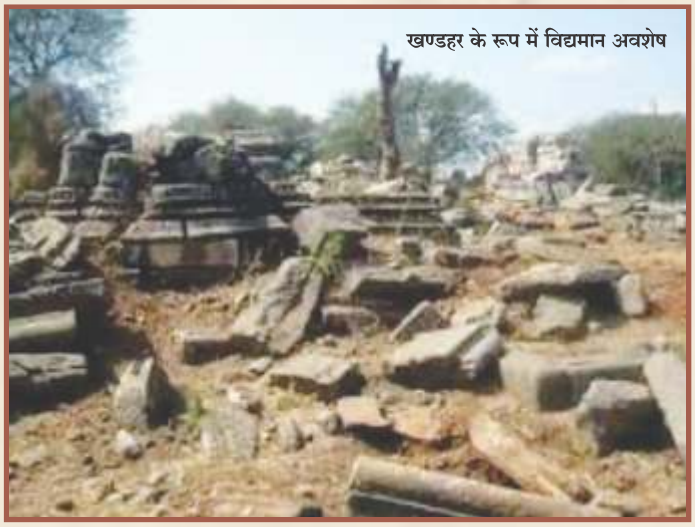

खण्डहर के रूप में विद्यमान अवशेष

प्राचीन दीवार के अवशेष

घी रखने की वारकी

- माउण्ट आबू के पास अरावली की तलहटी में स्थित है चंद्रावती सभ्यता
- 57 ई.पूर्व मौर्य गवर्नर राजा पाण्डु द्वारा की गयी थी स्थापना
- सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरातन सभ्यता होने का अनुमान

उत्कीर्ण प्रतिमाएं

इस नगरी के ऐतिहासिक महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की सिंधुराज,उत्पलराज, कृष्णराज,धरनी वराह,धुधुक और धारा वर्ष परमार शासक जैसे शासकों ने यहां शासन किया तथा इन शासकों के द्वारा विदेशी आक्रमणों के समय आक्रांताओं के दक्षिण भारत में जाने के मार्ग में प्रबल प्रतिकार उत्पन्न किया।

कालांतर में राजधानी को सिरोही स्थानांतरित कर दिया गया और यह वैभवशाली नगरी अतीत के पन्नों में खो गयी। कर्नल टॉड ने इस नगरी के अवशेषों के बारे में लिखा है कि, ''यहाँ विभिन्न आकार-प्रकार वाली बीस इमारतें थीं। यहाँ पर मिली 138 मूर्तियों में 'त्रयम्बक' (तीन मुँह वाली आकृति) घुटने पर बैठी हुई स्त्री, बीस भुजाओं वाले शिव, जिनके बाईं ओर एक महिष है और दाहिना पैर उठाकर गरुड़ जैसी आकृति पर रखा हुआ है।

एक महाकाल की बीस भुजाओं की प्रतिमा भी मिली है।'' टॉड ने मंदिर के भीतरी भाग और मध्य के गुम्बद की कलाकारी को बारीक एवं उच्च कोटि का बताया है।

लेकिन अंग्रेजों के समय जब यहां पास में रेल लाइन का कम चलाया गया तो काफी अवशेषों को निर्माण सामग्री के तौर पर काम में ले लिया गया। कुछ रह गए अवशेषों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय का स्थापत्य बेजोड़ था तथा मानव जीवन में संगीत, आमोद-प्रमोद आदि का बहुत महत्व था। वर्तमान में यहाँ एक राजकीय संग्रहालय है जिसमें कई अवशेषों को संरक्षित किया गया है, तथा हाल ही में की गयी खुदाई में यहां पर एक और किले के ऊंचाई पर स्थित होने के संकेत मिले हैं, जो यह दर्शाता है की शायद इस नगरी के पूरे वैभव को अभी तक हम पूर्णतया नहीं जान पाए हैं। तो इस बार जब भी गुजरात की और जाएँ या वहाँ से वापस आएँ तो इस शानदार प्राचीन विरासत को देखना ना भूलें।

पश्चिमी राजस्थान का अनूठा शिक्षण संस्थान

संवेदनशील मुख्यमंत्री के संकल्प दर्शा रहे हैं सुनहरे भविष्य के इन्द्रधनुष

आकांक्षा पालावत
जनसंपर्क अधिकारी, जोधपुर

प्रकृति ने जिनके साथ अन्याय कर शारीरिक कमियों की चुनोतियां दीं, उनकी सेवा में कई सुनहरे एवं यादगार पृष्ठ जोड़ने में राजस्थान का जोधपुर जिला अग्रणी भूमिका के साथ खास पहचान कायम कर चुका है।

यह सब साकार हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बदौलत। दशकों पहले उन्होंने जिस सोच के साथ यह अनूठी पहल शुरू की थी वह आज वट वृक्ष के रूप में पल्लवित होकर अभावों और जीवन की प्रकृति प्रदत्त चुनोतियों से जूझ रहे लोगों के लिए सुकून का अहसास करा रही है। जो लोग सुन नहीं पाते, उनके लिए जो कुंछ जोधपुर जिले में हो रहा है, वह न केवल अनुकरणीय बल्कि अपूर्व ही कहा जा सकता है।

सोच से स्थापना की यात्रा

राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के हृदय में वर्ष 1981- 82 में एक सुविचार उत्पन्न हुआ कि जोधपुर में मूक-बधिर विद्याथयों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय प्रारंभ करना चाहिए। उनकी इस सोच ने आकार पाया और जोधपुर मूक बधिर कल्याण समिति का गठन कर महात्मा गांधी जयन्ती - 1982 को गांधी बधिर विद्यालय की स्थापना की गई। श्री अशोक गहलोत समिति के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष मनोनीत किए गए। आरंभिक वर्ष में इस विद्यालय में मात्र दो मूक-बधिर विद्यार्थी ही अध्ययन हेतु सम्मिलित हुए।

उन्नति का सफर

वर्ष 1982 में गांधी बधिर विद्यालय में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्ष 1994 में विद्यालय में शनै:-शनै: मूकबधिर विद्याथयों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। इसके बाद इसमें लगभग 135 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने लगे।

विद्यार्थियों की उत्साहजनक रुचि के मद्देनजर शिक्षकों व समिति पदाधिकारियों के प्रयास से वर्ष 2002 में गांधी बधिर विद्यालय को माध्यमिक स्तर का दर्जा मिला तथा लगभग 140 मूकबधिर विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगे। इसके उपरान्त वर्ष 2010 में विद्यालय के उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नयन हो जाने पर लगभग 163 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने लगे।

विभागों एवं सरकार की मान्यता के चलते यहां से निकले विद्यार्थियों को अन्य सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष ही दर्जा मिलता रहा है। विद्यालय के क्रमोन्नयन के साथ-साथ यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम उत्साहवर्धक रहे।

विद्यालय के प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए वेतन व भत्तों का पुनर्भरण विशेष योग्यजन निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री की पहल रच रही इतिहास

समय की मांग के अनुसार समिति के प्रयासों से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन विद्यार्थियों को सुनहरा भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक और पहल करते हुए उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव में गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय को महाविद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया है।

इस महाविद्यालय को भी राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा निदेशालय से मान्यता व जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से विधिवत संबद्धता प्राप्त है। महाविद्यालय के प्रथम सत्र के प्रथम वर्ष में 45 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। समिति द्वारा संचालित विद्यालय छात्रावास का पंजीकरण निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग से भी है।

हुनर खोल रहे स्वावलम्बन के द्वार

विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा के साथ-साथ भविष्य में जीविकोपार्जन में सहायता के लिए कौशल उपलब्ध कराया जाता है। विद्यार्थियों की बहुआयामी प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए उन्हें को नियमित रूप से शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में दक्षता हासिल करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है।

स्पीच थैरेपी एक नियमित प्रक्रिया

संस्थान परिसर में विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति में बढ़ोतरी व स्पष्ट बोलने के प्रयास के लिए एक विशेष स्पीच थैरेपी कक्ष भी संचालित किया जाता है जहाँ विद्याथयों की नियमित श्रवण शक्ति की जांच भी की जाती है तथा विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा बोलने की प्रेक्टिस भी करवाई जाती है।

खेल-कूद में भी पीछे नहीं विद्यार्थी

विद्यालय में इंडोर गेम के साथ-साथ बास्केटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन ग्राउंड, क्रिकेट-फुटबॉल ग्राउंड के साथ ही विद्यार्थियों हेतु ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध है।

खेल प्रतियोगिताओं में मनवाया अपना लोहा

खेलकूद में दक्षता स्पेशल ओलंपिक भारत स्पेशल गेम दिव्यांग 2017 में विद्यालय के बच्चों ने 13 गोल्ड, 7 सिल्वर एवं 2 ब्रॉन्ज़ मैडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। नेशनल खेलकूद प्रतियोगिता पटियाला (पंजाब) में 10 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने गोल्ड, 1 ने सिल्वर व 4 ने ब्रॉन्ज मैडल जीतकर आपकी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। नेशनल गेम 2017 फुटबॉल प्रतियोगिता गांधीनगर अहमदाबाद में कुल 22 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें फाइनल मैच जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया।

राज्य स्तरीय खेलकूद दिव्यांग प्रतियोगिता 2019 जोधपुर से कुल 26 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 12 गोल्ड, 9 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए।

होता गया विद्यालय भवन का विकास एवं विस्तार

वर्ष 1982 में गांधी बधिर विद्यालय मात्र 2 विद्यार्थियों से पावटा जोधपुर में किराए के दो कमरों में प्रारंभ किया गया। विद्याथयों की बढ़ोतरी के साथ-साथ विद्यालय को वर्तमान अध्यक्ष सोहनलाल जैसलमेरिया के शास्त्री नगर, जोधपुर के मकान में लगभग 7 वर्ष तक नि:शुल्क संचालित किया गया।

जोधपुर शहर के भदवासिया माता का थाना क्षेत्र में दानदाता श्री तुलसीराम परिहार से संस्थान को वर्ष 1984 में 12.5 बीघा भूमि दान मिली। इस भूमि पर विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण मूकबधिर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप प्रारंभ किया गया।

उदारतापूर्वक मिलता रहा सहयोग

वर्तमान में विद्यालय भवन में 24 कक्षा-कक्ष, एक चित्रकला कक्ष, एक सिलाई कढ़ाई कक्ष, एक कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्ष, तीन कार्यालय कक्ष, एक प्याऊ तथा एक मीटिंग हॉल का निर्माण किया हुआ है। भवन निर्माण में भारत में विदेशों के भामाशाह, सांसद व विधायकों के क्षेत्रीय विकास को मुख्यमंत्री सहायता कोष, राजस्थान आवासन मंडल, नगर निगम आदि संस्थाओं से लगातार सहयोग

मिला, जिससे विशाल भवन का निर्माण संभव हो सका।

विद्यार्थियों को राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से नि:शुल्क हियरिंग एड (कान की मशीन) उपलब्ध कराई गई एवं समय-समय पर नवीन मशीन भी प्रदान की जाती रही हैं।

बालक छात्रावास

बालक छात्रावास में सांसद कोष से डॉ. एल.एम. सिंघवी (राज्यसभा सांसद) द्वारा वर्ष 2001- 02 में 4 कमरे और शौचालय का निर्माण करवाया गया तथा वर्ष 2003 में पुन: चार कमरों का निर्माण करवाया गया। वर्ष 2017 में ओएनजीसी, नई दिल्ली द्वारा तीन कमरों, शौचालय, सीढ़ियों का निर्माण कार्य करवाया गया।

जोधपुर के दो भामाशाहों श्री पुरुषोत्तम हिसारिया तथा श्री सत्यनारायण धूत द्वारा बालक छात्रावास में दो कमरों का निर्माण करवाया गया। वर्तमान में बालक छात्रावास में 88 तथा बालक महाविद्यालयी छात्रावास में 10 विद्यार्थी आवासीय सुविधा का लाभ पाते हुए अपने भविष्य को संवार रहे हैं।

बालिका छात्रावास

बालिका शिक्षा के लिहाज से हाल के वर्षों में बेहतर प्रयास हुए हैं। बालिका छात्रावास का निर्माण श्रीमती हजो बाई केसरीमल हगड़ द्वारा करवाया गया।

वर्तमान में बालिका छात्रावास में विद्यालय की 43 बालिकाएं तथा महाविद्यालय स्तर की शिक्षा पा रही 4 बालिकाएं आवासीय सुविधा का लाभ पाते हुए सुनहरे भविष्य की रेखाएं गढ़ रही हैं।

आगामी प्रोजेक्टस

एआईसी ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा गांधी मूक बधिर बालिका छात्रावास में सम्पूर्ण प्रथम मंजिल का विस्तार कार्य तथा समिति द्वारा परिसर में स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएड कोर्स प्रारंभ करवाना।

आस्ट्रेलिया, अमेरिका और खाड़ी देशों को पसंद आ रहा

चूरू का झींगा

''खारे पानी में झींगा पालन से किसानों की जिंदगी में मिठास घुली है। रेतीले धोरों और खारे पानी वाले चूरू के किसानों में झींगा पालन की ओर रूझान बढ़ा है। सैकड़ों किसान करोड़ों का झींगा बेच रहे हैं और समूह के रूप में मिलकर किसान झींगा पालन कर रहे हैं।''

कुमार अजय
सहायक निदेशक, चूरू

खेती-बाड़ी के लिए प्रतिकूल खारे पानी में झींगा पालन कर चूरू के किसानों ने यहां नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। रेतीले धोरों के लिए मशहूर चूरू अब झींगा पालन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले चार-पांच साल से शुरू हुआ झींगा पालन अब यहां जोर पकड़ा रहा है। बड़ी संख्या में किसानों ने अपने खेतों में झींगा पालन शुरू किया है, जो करोड़ों का झींगा बेच रहे हैं। किसान बताते हैं कि यहां का झींगा आस्ट्रेलिया, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है और अपनी बेहतर गुणवत्ता के चलते खूब पसंद किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रोटीन, विटामिन व न्यूट्रीशंस से भरपूर झींगा में ओमेगा-3 पाया जाता है और इसे पोषण से भरपूर माना जाता है।

चूरू जिले के राजगढ़ ब्लॉक के इंदासर गांव के किसान मनोज गोस्वामी पिछले तीन साल से झींगा पालन से जुड़े हैं और लाखों का झींगा हर सीजन में बेच रहे हैं। वे बताते हैं कि एक-दो सीजन में किसानों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होती है लेकिन बाद में कम लागत में अच्छी पैदावार मिलने लगती है। इंदासर में काफी किसान झींगा पालन से जुड़े हैं और करीब 200 पौंड बन गए हैं। लांबा की ढाणी के किसान हर्ष लांबा कहते हैं कि वे तीन किसान मिलकर झींगा पालन कर रहे हैं और यहां की परम्परागत खेती के मुकाबले यह बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। वे बताते हैं कि झींगा पालन के लिए देखरेख बहुत महत्त्वपूर्ण है और झींगा को पूरी ऑक्सीजन व पोषण के लिए करीब 18 घंटे एरियेटर चलाना पड़ता है। एरियेटर से पानी घूमता है और झींगा को ऑक्सीजन मिलती है। झींगा पालन में ऑक्सीजन के लिए एरियेटर चलाने में बिजली या डीजल के खर्चे को देखते हुए झींगा पालक रियाजत खान ने अपने खेत में ऑक्सीजन प्लांट ही लगा दिया है, जिसमें एरियेटर के मुकाबले खर्च कम आता है। उन्होंने अपने ही खेत में इसके लिए हैचरी भी बना दी है। खान कहते हैं कि काम की

शुरुआती लागत काफी ज्यादा है और आम किसान के लिए इसे करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एक-दो सीजन के बाद किसान अच्छी स्थिति में आ जाता है। वे बताते हैं कि चूरू जिले में 300 से अधिक किसान यह कार्य कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब एक हजार किसानों को इसमें रोजगार मिल रहा है। झींगा अपने वजन के अनुसार 180 रुपए किलो से 600 रुपए किलो तक के भाव बिक जाता है। झींगा का आकार जितना बड़ा होता है, गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। झींगा पालन से जुड़े किसान बताते हैं कि पास ही के हरियाणा में काफी किसान यह कार्य कर रहे हैं, जिसका लाभ उन्हें भी मिलता है। झींगा के लिए सीड, फीड आदि आपूर्ति किसानों को खेत पर ही हो जाती है तथा उत्पादित झींगा को यहां आकर कंपनियां ले जाती हैं, जिसके चलते किसानों को काफी सुविधा रहती है।

मत्स्य विकास अधिकारी श्री इरशाद खान बताते हैं कि रेतीली भूमि और पानी की कमी के कारण चूरू मछली पालन की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है लेकिन यहां के पानी व मिट्टी की जांच में यह सामने आया है कि झींगा पालन के लिए यह काफी उपयुक्त है। इसलिए झींगा पालन के इच्छुक किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वे बताते हैं कि अब यहां विभाग की ओर से झींगा पालन जागरुकता प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं एवं किसानों को तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। फीड व पानी की गुणवत्ता को मेंटेन रखने, बीमारी व रोगों से बचाव के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। आवश्यक होने पर सूरत, गुजरात से कन्सल्टेंट बुलाया जाता है। अनाधिकृत व्यक्तियों से बचने की सलाह किसानों को दी जाती है। मत्स्य कृषकों को नए तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार तालाब, पोखर में मत्स्य पालन के लिए प्रथम वर्ष में उपादान के रूप में मत्स्य बीज, फीड आदि के क्रय के लिए प्रति हैक्टेयर 6 लाख रुपए, तालाब निर्माण पर प्रति हैक्टेयर 8 लाख रुपए लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (2.40 लाख रुपए) तथा अनूसूचित जाति, जनजाति वर्ग एवं सभी महिलाओं व सहकारी समितियों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अलावा तिरपाल के लिए प्रति हैक्टेयर 2 लाख रुपए का अनुदान देय है। वे कहते हैं कि सक्षम एवं अधिकृत व्यक्तियों के मार्गदर्शन में ही किसानों को झींगा पालन करना चाहिए। पिछले दिनों जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ सिहाग ने संबंधित किसानों से चूरू में झींगा पालन की संभावनाओं पर संवाद किया और कहा कि झींगा पालन क्षेत्र के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाला साबित हो सकता है।

कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के किसानों के लिए झींगा पालन काफी फायदे का सौदा साबित हो रहा है और यदि इससे अधिक किसान जुड़ते हैं व विभिन्न स्तरों पर इसे प्रोत्साहित किया जाता है तो आने वाले समय में झींगा पालन से यहां के किसानों की तकदीर और जिले की तसवीर बदल सकती है।

बजट 2022-23 के दौरान 21 मार्च 2022 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोलने की घोषणा की है।

Girls and Women Feel Secure With Speak-up App

The 'Awaaz Do' (SpeakUp) application, launched in August 2021 in the state, is proving very helpful to girls and women, providing them the feeling of security while moving alone on roads and also safeguarding them while travelling singlely.

The Additional Director General of Police (Security), Shri S Sengathir came up with an idea of starting a campaign' Awaaz Do' to protect and help women and girls. The objective of 'Awaaz Do/SpeakUp' campaign was to empower women, to provide them security, to make women aware of the laws related to them, to strengthen the registration system of crimes and to bring down atrocities against women.

The SpeakUp app can be downloaded from the Play Store on any android phone and it has a provision of making free calls. On using this app, the live location of the spot of the incident reaches her guardian, concerned police station area and the concerned police control room. The police immediately gear up to help the victim.

A few months ago, a woman from Jaipur was travelling to Tonk in the Roadways bus at night. A youth travelling in the bus started molesting her. The woman was aware of this app, so she called the control room. She was assured that soon she will get police assistance. After some time, police contacted her and found that the youth had come to know that the lady had informed the police so he got down on a stop earlier before the Tonk Roadways bus stand. The lady told the police she was fine and did not want any further action by the police.

This app so far has been downloaded by more than 10,000 people and a total of 1779 complaints have been resolved. These include 461 from Ajmer, 726 from Bhilwara, 325 from Nagaur and 267 from Tonk till December 31, 2021.

Under this campaign, 10 teams in each district have been formed in which female constables have been given preference. People in villages and students in schools and colleges were made aware about this campaign in the entire Ajmer range through folk poetries, street plays, dramas, poetries, puppet shows and songs in Rajasthani and Hindi languages, dance, music etc. Awareness was carried out at various places through vans.

In this 'Awaaz Do' campaign, case officers were appointed by selecting 115 cases of POCSO and atrocities against women lying pending in the courts and in 18 cases the accused were punished. Two culprits were sentenced to death, five to a life term, seven culprits were sentenced to 20 years imprisonment, one each to 10, 7, 5 and 3-year imprisonment.

Similarly, 80 women police personnel were trained as master trainers to further impart training to girls with self-defence techniques in educational institutions. Till now, more than 9300 girls have been trained including 560 in Ajmer, 530 in Bhilwara, 366 in Nagaur and 1882 in Tonk.

Complaint boxes were put at education institutions in this campaign. The girls studying in schools and colleges can put their complaints and problems in this box. Every week, these boxes are opened by the concerned beat constable and give the same to the concerned Station House Officer. One such complaint was received in the complaint box, in which a student of a residential school in Tonk district had mentioned sexual exploitation with her seven-year ago. Police lodged a case against Vishal resident of Todaraisingh under section 376B and 5M/6 in POCSO Act. Many such complaints were received through the complaint boxes, on which investigation is being done.

The women are being made aware about the women helpline number 1090 through posters and pamphlets at bus stands, railway stations, schools and colleges, factories, places where labourers gather, MGNREGS sites and others places. The number has been pasted in city buses, auto rickshaws, private buses and jeeps in which the women travel.

Ritu Soni, a student from Bajarwada Nagaur said, "I have downloaded the SpeakUp App and it appears to be an effective weapon for the security of women. I have asked women and girls nearby by my house to ensure their security by downloading this app."

Similarly, Madhu Choudhary, PTI, Merta City (Nagaur) said that this campaign has provided support to women and girls and they have gained confidence.

This campaign has brought positive changes including the image of woman constables in the range has changed with their excellent efforts in this campaign; reduced the gap between the women/girls and police and has built an atmosphere of terror among the culprits.

A book on 'Awaaz Do campaign' was published and a copy was presented to the Chief Minister.

जयपुर जिले में महिला सशक्तीकरण के लिए अभिनव पहल

'चुप्पी तोड़ो-सयानी बनो'

माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं 'गुड टच-बेड टच' जैसे संवेदनशील विषय पर किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक

धर्मिता चौधरी
जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर

माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं 'गुड टच-बेड टच' जैसे संवेदनशील विषय पर जागरुकता वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि यह विषय किशोरियों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। वर्तमान परिदृष्य में विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए बालिकाओं एवं महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। माहवारी जैसे विषय पर संकोच एवं शर्म के बजाय अब वे इस विषय पर आत्मविश्वास के साथ बात करने लगी हैं, किन्तु ग्रामीण अंचल में महिलाओं एवं बालिकाओं में अब भी इस विषय पर हिचकिचाहट है।

जयपुर जिला कलक्टर श्री राजन विशाल द्वारा माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं 'गुड टच-बेड टच' जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूकता की पहल की गई है। इसके अन्तर्गत जन जागरुकता एवं चर्चा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 'उड़ान' योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत एक अनुपम नवाचार 'चुप्पी तोड़ो-सयानी बनो' अभियान की पहल अन्य सभी विभागों के समन्वय से की गई है। इस नवाचार का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को 'गुड टच एवं बेड टच' एव किशोरियों एवं महिलाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की जानकारी देना व उनमें जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे वे स्वस्थ व आत्मविश्वासी बन सकें।

2300 से अधिक अध्यापिकाओं को विशेषज्ञता प्रशिक्षण

जयपुर जिले के प्रत्येक उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर इस अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यशालाओं प्रशिक्षणों जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। 14 मार्च से 16 मार्च तक चले आमुखीकरण कार्यशालाओं में 2300 से अधिक अध्यापिकाओं को इस विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा इसके सम्बन्ध में प्रकाशित बुकलेट का विमोचन किया गया।

अभियान के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापिकाएं अपने-अपने विद्यालय में समस्त छात्राओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं 'गुड टच-बेड टच' जैसे संवेदनशील विषय पर जानकारी देंगी। साथ ही विद्यालय की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की चयनित छात्रा को हाईजीन एम्बेसेडर नियुक्त करेंगी जो कि राज्य सरकार की 'उड़ान' योजना के अन्तर्गत सैनेटरी नैपकीन की नि:शुल्क उपलब्धता की भी जानकारी देंगी। तृतीय एवं चतुर्थ चरण के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से माहवारी स्वच्छता प्रबंधन एवं 'गुड टच-बेड टच' विषय के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों होगा।

''राज्य सरकार ने स्कूटी नहीं बल्कि दो पैर दिये हैं, अब जीवन होगा आसान''

मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते नहीं थक रहे दिव्यांग

मनोज कुमार
जनसम्पर्क अधिकारी, अलवर

राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थानों में अध्ययनरत विशेष योग्यजनों को रोजगार व गतिशीलता वृद्धि हेतु नि:शुल्क स्कूटी वितरण प्रदान की जा रही है। यह योजना उनके सपने साकार करने में सारथी साबित हो रही है। अलवर जिले में इस योजना से 109 पात्र दिव्यांगज लाभांवित हो चुके हैं। योजना का लाभ उठा रहे दिव्यांगजन संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं लोक कल्याणकारी राज्य सरकार के प्रति खुले मन से आभार जता रहे हैं।

विगत माह अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिव्यांगजनों को नि:शुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम में जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने रूपबास तिजारा निवासी दिव्यांग दिनेश कुमार को स्कूटी की चाबी सौंपी तो उसने भावुक होकर कहा कि ''राज्य सरकार ने मुझे स्कूटी के रूप में दो पैर दिए हैं। अब जिन्दगी आसान होगी और मंजिल को पाने में यह स्कूटी सारथी साबित होगी।'' दिनेश ने बताया कि वह राजकीय महाविद्यालय तिजारा में स्नातक का छात्र है। महाविद्यालय उनके गांव से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। परिवार की आर्थिक स्थित कमजोर होने के कारण स्वयं का साधन नहीं होने से आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है तथा दूसरों पर निर्भर होने के कारण अक्सर महाविद्यालय जाने में विलम्ब होता है। दिनेश ने डबडबी आंखों से बताया कि साधन के अभाव में 10वीं कक्षा की परीक्षा में विलम्ब से पहुंचने के कारण वह फेल हो गया था। अब स्कूटी मिलने से ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब समय भी बचेगा तथा अन्य पर निर्भरता भी नहीं रहेगी। दिनेश ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता एवं लोक कल्याणकारी कदमों की खुले मन से सराहना की।

छात्रा भारती शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई स्कूटी शिक्षक बनने में मददगार बनेगी। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में अलवर की रामगढ तहसील के ग्राम चौमा की निवासी 19 वर्षीय एसटीसी की छात्रा भारती शर्मा ने स्कूटी की चाबी मिलने पर कहा कि, ''सरकार द्वारा दी गई यह स्कूटी की चाबी उसके लिए सफलता की राह खोलेगी।'' भारती ने बताया कि वह शिक्षक बनना चाहती है और बहरोड के महाराजा पीजी महिला कॉलेज से एसटीसी कर रही है। बहरोड कस्बे में अन्य छात्राओं के साथ रहती है। वहां से कॉलेज तक की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। सार्वजनिक वाहनों पर निर्भर होने के कारण आने-जाने में समय बहुत लगता था। अब उसका समय बचेगा जिसका सदुपयोग वह पढाई में कर सकेगी। भारती ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और राज्य सरकार का आभार जताया।

श्रमिक दौलत सिंह ने कहा कि दिव्यांग बेटे को स्कूटी मिलने से वह अपने काम पर ध्यान दे पाएगा । अलवर के महल चौक के पास किराये का मकान लेकर खुली मजदूरी करने वाले अलवर जिले की लक्ष्मणगढ तहसील के गढ बींजरी निवासी दौलत सिंह ने बताया कि उसका बेटा अंकित दोनों पैरों से दिव्यांग है जो बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर में बीए द्वितीय वर्ष का छात्रा है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। अंकित को कॉलेज लाने-ले जाने का कार्य उसे करना पड़ता है जिसके कारण खुली मजदूरी करने में परेशानी होती थी। अब राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क स्कूटी अंकित को प्रदान की गई है जिससे अंकित खुद कॉलेज आ-जा सकेगा। साथ ही वह भी अपने कार्य पर पूरा ध्यान दे सकेगा। दौलत सिंह एवं उनकी पत्नी अन्नू देवी ने राज्य सरकार का कोटि-कोटि आभार जताया।

समूह के हौसले से तैयार ''मधुसखी झालावाड़ी शहद''

प्राकृतिक रूप से समृद्ध झालावाड़ जिले में विविध फसल चक्रों के दौरान सरसों, धनिया, अजवाइन, अलसी, कलौंजी और वनीय वनस्पति बबूल, नीम, शीशम, पलाश, खेंजरी, बेर, करौंदा का उत्पादन होता है। यहां शहद उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायूवीय परिस्थितियां, पर्याप्त सर्दी, गर्मी और वर्षा होती होती है। इसके कारण अन्य राज्यों के मुकाबले शहद उत्पादन होने की अपार संभावना को देखते हुए पहले मधुमक्खी पालक उत्तराखण्ड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र से आकर यहां मधुमक्खी पालन करते थे।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद् द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में ब्लॉक पिड़ावा की 10 महिलाओं ने साहस दिखाते हुए मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्य ब्लॉकों की समूह की महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण दिया। कुछ कर गुजरने की जिद रंग लाई और देखते ही देखते लगभग 400 महिलाओं द्वारा करीब 3 हजार किलो शहद का उत्पादन किया गया।

अकलेरा ब्लॉक के गांव थनावद में मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मिलकर जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित एवं जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिधि बीटी बहुत प्रभावित हुए। जिला कलक्टर के नेतृत्व में समूह की महिलाओं ने शहद उत्पादन में ब्राण्ड ''मधुसखी-झालावाड़ी शहद'' बनाकर समूह की सभी अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ठानी। शहद की उच्च गुणवत्ता एवं प्राकृतिक हर्बल उत्पाद होने के कारण फूड सेफ्टी एण्ड स्टेण्डर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया की राजस्थान की इकाई द्वारा 1 मार्च, 2022 को बाजार में शहद की बिक्री हेतु लाइसेन्स जारी किया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को राजीविका द्वारा मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं इसकी फण्डिंग सीएलएफ रोटेशन फण्ड से की गई है। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित द्वारा ''मधु सखी झालावाड़ी शहद'' का शुभारम्भ किया गया है। इस प्रकार के नवाचार झालावाड़ को व समूह की महिलाओं को एक व्यावसायिक मंच प्रदान कर रहे हैं। जिले में इस नवाचार से 6 ब्लॉक्स की 425 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। 31 मार्च 2022 तक 4500 किलो ग्राम शहद एकत्र कर बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध करवाया गया है। रसायन मुक्त, अतिरिक्त शक्कर रहित शुद्ध अनप्रोसेस्ड्ड कच्चा शहद बाजार में 250 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 किलो में पैकिंग में विक्रय हेतु उपलब्ध है। 8 मार्च 2022 से 31 मार्च तक 2 लाख रूपये के शहद की बिक्री हुई है। बाजार में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने से इस व्यवसाय को अधिक गति देने के लिए जिले में झालावाड़ी प्रोडूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है जो इस नवाचार के सभी प्रकार के कार्य की निगरानी एवं जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए सक्षम होगी। जिला कलक्टर झालावाड़ का यह नवाचार यहां की महिलाओं के लिए रोजगार सृजन व आर्थिक लाभ प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

हेमन्त सिंह
सहायक निदेशक, झालावाड़

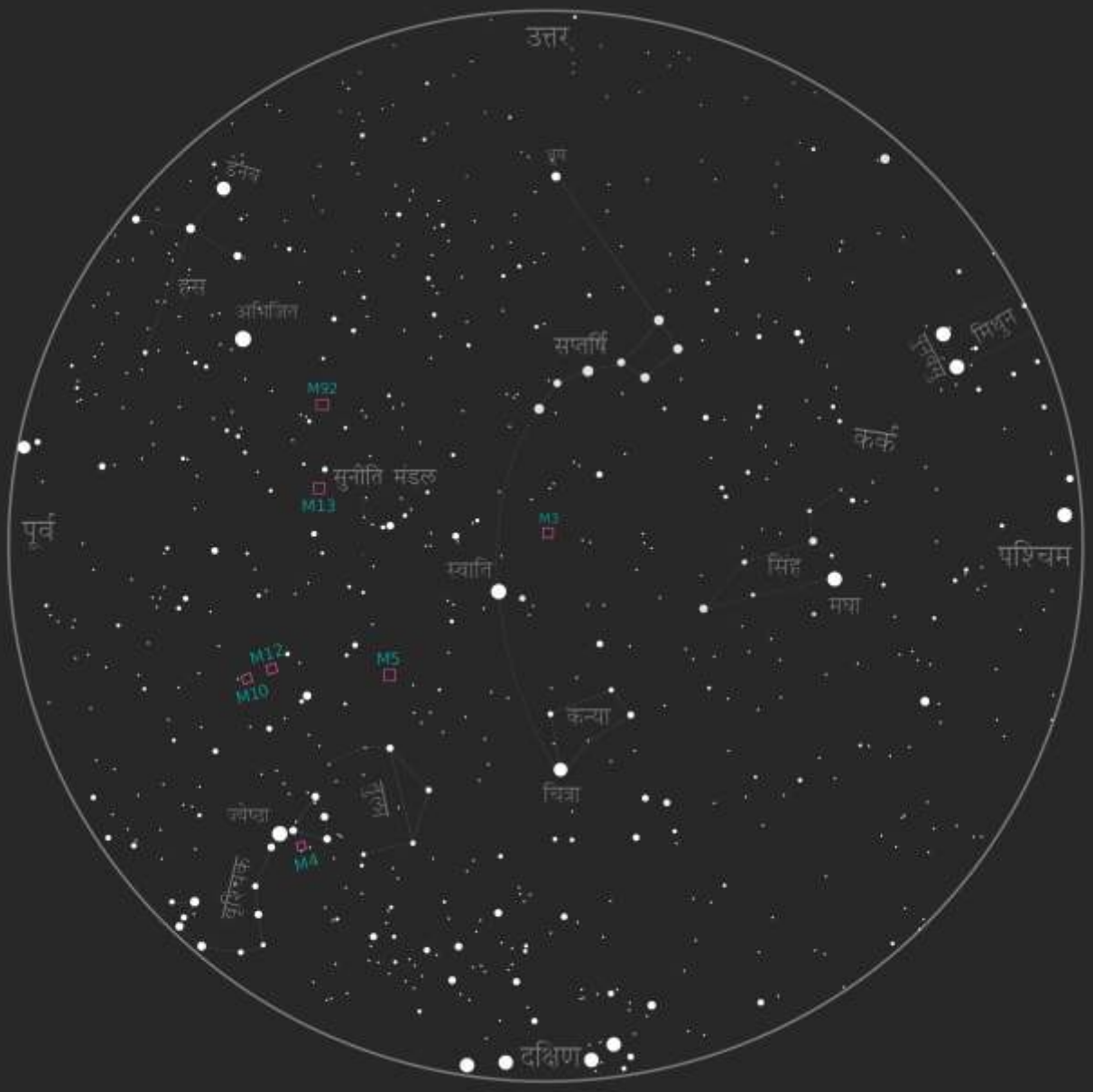

रात्रि आकाश अप्रेल–मई 2022

हर भोर ग्रहों का जोर

मई माह में ग्रहों का जोर भोर में है। संध्याकाश में बुध, और भोर में शुक्र, मंगल, बृहस्पति व शनि अपनी छटा बिखेर रहे हैं। इस माह पांचों ग्रहों को देखने का यह एक अच्छा अवसर है।

सबसे छोटा ग्रह बुध सूर्यास्त के समय 14 मई तक मौजूद है। यह 10 मई से वक्री हो रहा है। 2 मई को दूज के चांद के साथ जरा उत्तर में इसे ढूंढ़ने की कोशिश करें। माह के पहले हफ्ते में सूर्यास्त के बाद, पश्चिमी क्षितिज पर चंचल बुध आपको जरूर दिख जायेगा। शुक्र, भोर में पूर्वी क्षितिज पर धीरे-धीरे नीचे उतर रहा है। सूर्योदय के पहले जगमगाता शुक्र आने वाले कुछ महीनों तक भोर का तारा बना रहेगा।

सन्दीप भट्टाचार्य
सहायक निदेशक, बिड़ला तारामण्डल

लाल ग्रह मंगल को भोर में तड़के तारों की झिलमिलाहट खत्म होने के पहले पूर्व-दक्षिणी क्षितिज से काफी ऊंचाई पर गुलाबी रंगत में पहचाना जा सकता है। ग्रहराज बृहस्पति, कुम्भ को छोड़ मीन राशि के धुंधले तारों के बीच, चमकदार शुक्र के जरा ऊपर, एक अच्छा नजारा पेश कर रहे हैं। माह के दौरान आसमानी पटल पर इनका फासला बढ़ता जायेगा। बृहस्पति ऊपर उठ रहा है, और शुक्र नीचे जा रहा है। वलयधारी शनि मकर राशि के तारों के बीच डटे हुए हैं। यह शुक्र, मंगल व बृहस्पति के

साथ ही भोर में, पश्चिम में हैं। शनि आधी रात के आस–पास उदय होगा और भोर में इसे दक्षिणी क्षितिज से लगभग 45 डिग्री ऊपर पकड़ा जा सकता है।

चन्द्रमा 2 को बुध, 22 को शनि, 24 को मंगल, 25 को बृहस्पति व 27 मई को शुक्र ग्रह के आस–पास रहेगा। 27 मई को चन्द्रमा शुक्र को पूरी तरह ढक लेगा। खगोल की भाषा में इसे आच्छादन (occultation) कहते हैं। यह नजारा भारत भूमि से नजर नहीं आयेगा।

प्रस्तुत मानचित्र में आकाशीय गुम्बद को वृत्ताकार दिखाया गया है। इसका किनारा हमारे चारों ओर फैला क्षितिज है। मानचित्र का केन्द्र, सिर के ठीक ऊपर का शीर्षबिन्दु (zenith) है। रात्रि आसमान में तारों व तारामण्डलों को पहचानने के लिए मानचित्र को सिर के ठीक ऊपर इस प्रकार पकड़ें कि इसमें दर्शाया गया 'उत्तर' ठीक उत्तर दिशा की ओर हो। फिर इसमें दर्शायी गयी दिशाएं आपकी दिशाओं से मेल खा जायेंगी। मानचित्र को नीचे से ऊपर देखते हुए चारों ओर घूमकर रात्रि आसमान से जान–पहचान बढ़ाई जा सकती है। तारों से ताल–मेल बिठाकर आप पुरे आसमान से रूबरू हो सकते हैं। एक तारामण्डल को पहचानकर अन्य को ढूंढना आसान है। अंधेरे में मानचित्र को देखने के लिए लाल पन्नी लगी एक छोटी टॉर्च ठीक रहती है।

संध्याकाश में हंसमण्डल एवं 'ग्रीष्म त्रिकोण' के दो तारे – डेनब व अभिजित का पूर्वी क्षितिज पर आगमन हो रहा है। इस माह नजर आनेवाले प्रमुख तारामण्डल हैं – सप्तर्षि, सुनीति मण्डल, सिंह, कन्या, तुला व वृश्चिक राशि । इन समूह के आस–पास बिखरे पड़े कुछ प्रकाश पुंजों को वर्ग की आकृति में दर्शाया गया है। इन्हें आप एक छोटी दूरबीन या बायनोक्युलर के सहारे ही ढूंढ़ पायेंगे।

हमारी आकाशगंगा के भीतर ये सबसे दूरस्थ प्रकाश पूंज है। उत्तरी आसमान में सात सितारों से बना सप्तर्षि मण्डल आपको आसानी से दिख जायेगा। मानचित्र में बनाई गयी काल्पनिक रेखाओं के सहारे आप ध्रुव तारे तक पहुंच सकते हैं। सदैव एक जगह अटल रहने वाला ध्रुव तारा ठीक उत्तर दिशा को इंगित करता है। सप्तर्षि के सहारे आप अन्य तारे व तारामण्डलों की स्थिति समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। दक्षिणी आसमान में शानदार वृश्चिक राशि को देखने का सुनहरा अवसर है। इसमें लाल रंग का चमकदार नक्षत्र है – ज्येष्ठा । हंसमण्डल से लेकर वृश्चिक–धनु तक उत्तर–दक्षिण में फैली आकाशगंगा भी निखरी बलखाती प्रतीत होती है। इसे देखने के लिए आपको किसी छोटे गांव या कस्बे में जाना होगा।

प्रस्तुत मानचित्र में आकाशीय गुम्बद को वृत्ताकार दिखाया गया है। इसका किनारा हमारे चारों ओर फैला क्षितिज है। मानचित्र का केन्द्र, सिर के ठीक ऊपर का शीर्षबिन्दु (zenith) है। रात्रि आसमान में तारों व तारामण्डलों को पहचानने के लिए मानचित्र को सिर के ठीक ऊपर इस प्रकार पकड़ें कि इसमें दर्शाया गया 'उत्तर' ठीक उत्तर दिशा की ओर हो। फिर इसमें दर्शायी गयी दिशाएं आपकी दिशाओं से मेल खा जायेंगी। मानचित्र को नीचे से ऊपर देखते हुए चारों ओर घूमकर रात्रि आसमान से जान–पहचान बढ़ाई जा सकती है। तारों से ताल–मेल बिठाकर आप पूरे आसमान से रूबरू हो सकते हैं।

सूर्य मई माह में मेष से निकल वृषभ राशि में प्रवेश करता है। सुर्योदय व सूर्यास्त का समय निम्न प्रकार है।

	जयपुर		श्रीगंगानगर		उदयपुर		जैसलमेर	
	उदय	अस्त	उदय	अस्त	उदय	अस्त	उदय	अस्त
1 मई	05:49	07:01	05:52	07:13	06:03	07:09	06:12	07:24
16 मई	05:39	07:09	05:41	07:22	05:54	07:16	06:02	07:32
31 मई	05:33	07:17	05:35	07:31	05:59	07:23	05:57	07:40

प्रस्तुत मानचित्र 1 मई को रात्रि 10:30 बजे, 15 मई को रात्रि 9:30 बजे व 30 मई को रात्रि 8:30 बजे जयपुर शहर से आकाशीय स्थिति दर्शाता है। पूर्ण चन्द्रग्रहण (Total Lunar Eclipse) – 16 मई, सोमवार पूर्णिमा के दिन पूर्ण चन्द्रग्रहण का खगोलीय संयोग बना है। यह ग्रहण भारत भूमि से नजर नहीं आयेगा । यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका व अंटार्कटिका आदि क्षेत्र से यह ग्रहण देखा जा सकेगा। सूर्य व चन्द्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने के कारण चन्द्रग्रहण का संयोग बनता है।

घोटिया आम्बा मेला

फाल्गुनोत्सव को विदाई

कल्पना डिण्डोर
सहायक निदेशक, बांसवाड़ा

बांसवाड़ा जिले में जनजातीय परंपराओं और लोक लहरियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेलों का उल्लास सालभर बरसता रहता है। इन सभी प्रकार के मेलों की पूर्णाहुति वर्ष के अंतिम दिन पहाड़ों में उल्लास के साथ होती है जब रंगों और रसों की भरपूर वृष्टि के बीच पांच दिवसीय वार्षिक मेला भरता है। इसमें क्षेत्रभर से लाखों ग्रामीण हिस्सा लेते हैं और फागुनोत्सव की विदाई के साथ ही वर्ष भर के मेलों का समापन होकर नया वर्ष आरंभ होता है। पिछले दो साल से कोरोना की वजह से मेला नहीं लग पाया था। इसे देखते हुए अबकी बार क्षेत्र वासियों में मेले के लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। वर्ष का अंतिम मेला बांसवाड़ा–दोहद मार्ग स्थित बड़ोदिया से कुछ दूर घोटिया आम्बा के जंगल में भरता है जिसमें क्षेत्र भर से मेलार्थी हिस्सा लेते हैं।

जंगल में मंगल होता साकार

घोटिया आम्बा की परम्पराओं के अनुसार यह मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी (पूर्णिमांत पद्धति के अनुसार चैत्र कृष्ण त्रयोदशी) 30 मार्च बुधवार को शुरू होगा। मुख्य मेला अमावस्या के दिन 1 अप्रेल को पूरे यौवन पर रहेगा। इस मेले में डेढ़–दो लाख से अधिक मेलार्थी हिस्सा लेते हैं। इसमें वागड़ अंचल के हजारों मेलार्थियों के साथ ही गुजरात और मध्यप्रदेश के सरहदी क्षेत्रों से आने वाले मेलार्थियों की संख्या भी काफी होती है। बांसवाड़ा जिले का यह सबसे बड़ा परंपरागत ग्राम्य मेला है। मेलार्थी यहां आकर पाण्डव कुण्ड में स्नान, घोटेश्वर शिवालय, केलापानी के देवालय, बजरंग बली, वाल्मीकि मंदिर आदि में दर्शन करने के उपरान्त मेले के मनोरंजन संसाधनों का जमकर आनंद लेते हैं। तीनों तरफ पर्वत से घिरे घोटेश्वर शिवालय में रक्ताभ शिवलिंग एवं देवी पार्वती की आकर्षक प्रतिमा है। पार्श्व में दीर्घ अधिष्ठान पर श्वेत पाषाण निर्मित पाण्डव कुल की सात मूर्तियां हैं।

आरोग्य और शुचिता देता है पाण्डव कुण्ड

घोटेश्वर शिवालय के पास ही पवित्रा जल से भरा पाण्डव कुण्ड है, मुख्य मेले के दिन स्नानार्थियों की भारी भीड़ यहां जमा रहती है। इस कुण्ड को पापों का शमन करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। स्नान में असमर्थ मेलार्थी हाथ–पांव व मुख प्रक्षालन कर लेते हैं। कुण्ड में ही शिला स्तम्भ पर शिवलिंग स्थापित है जिस पर श्रद्धालु पैसे चढ़ाते हैं। यहीं पर जन–जन की अगाध आस्था का प्रतीक आम्रवृक्ष है जिसके बारे में मान्यता है कि यह लोगों की कामनाएं पूरी करता है। जनश्रुति है कि घोटिया आम्बा के पठार पर पाण्डवों ने श्रीकृष्ण की सहायता से देवराज इन्द्र से प्राप्त आम की गुठली यहां रोपी व इससे उत्पन्न आम्र फलों के रस से 88 हजार ऋषियों को भोजन कराने का पुण्य पाया। आज भी लोग इसी परम्परा के आम्र वृक्ष की परिक्रमा, पूजन इत्यादि करते हैं। रमणीय घोटिया आम्बा क्षेत्र में चारों और बडे–बडे वृक्षों से भरी पहाड़ियां, दुर्गम घाटियां, शीतल जल के सोते और वन्य जीवों की अठखेलियां प्रकृति के अनुपम वैभव को व्यक्त करती हैं तो राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती अंचलों से परम्परागत परिधानों में जमा आदिवासी स्त्री–पुरुषों, लोकवाद्यों के साथ फाल्गुनी गीतों की झंकार और नृत्यों की मनोहारी फिज़ां आदिवासी संस्कृति के प्राणों को बखूबी रूपायित करती है।

ऐसे होता है नव वर्ष का स्वागत

आदिवासी समाज सुधारक एवं संत महात्मा भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर धार्मिक एवं समाजिक चेतना का संचार करते हैं। नव वर्ष के स्वागत और अभिनन्दन के उल्लास में नहाते मेलार्थी यहां रंगझूलों व चकड़ोल में बैठकर हवा में तैरने का आंनद लेते हैं और मेले का भरपूर लुत्फ उठाने के बाद जंगल के पहाड़ों पर खुले आसमान तले खो जाते हैं नींद के आगोश में। पुराने वर्ष की भावपूर्वक विदाई तथा नव वर्ष का यह पारंपरिक अभिनन्दन सदियों से प्रकृति प्रेम और जंगल में मंगल का पैगाम सुना रहा है।

बाड़मेर की संस्कृति हुई जीवन्त

बाड़मेर जिले की कला–संस्कृति, हस्तशिल्प को जग जाहिर करने तथा पर्यटन विकास के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा 28 से 30 मार्च तक थार महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ। तीन दिवसीय थार महोत्सव के कार्यक्रमों के दौरान बाडमेर की अक्षुण्ण लोक कला और सांस्कृतिक परम्परा को साक्षात उजागर किया गया। इस दौरान विभिन्न रोचक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।

भव्य शोभा यात्रा से प्रारम्भ हुए आयोजन में रोचक प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, मेराथन दौड एवं खो–खो, सतोलिया, रूमाल झपट्टा जैसे पारम्परिक खेलों का आयोजन हुआ। राजस्थान दिवस एवं थार महोत्सव के अन्तिम दिन महाबार के स्वर्णिम रेतीले धोरों पर गीत, संगीत और नृत्य की सुरमई सांझ सजाई गई। राज्यपाल की धर्मपत्नी तथा राज्य की प्रथम महिला श्रीमती सत्यवती मिश्र ने भी शिरकत कर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ख्यातनाम लोक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय लोक कलाकार धोधे खां ने अलगोजा पर मरु शहनाई की मनमोहक धुन प्रस्तुत की। इसी कड़ी में खेता खां मांगणियार एण्ड पार्टी ने ''हेरी सखी मंगल गाओ री....'' तथा फकीरा खां बिशाला एण्ड पार्टी ने ''पधारो म्हारे देश'' एवं ''छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाईके...'' की प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम

श्रवण चौधरी
उप निदेशक, बाड़मेर

के दौरान कश्मीर से आये तपस्सुम एंड पार्टी द्वारा कश्मीर में खुशी के मौके पर किया जाने वाला ऊर्जा से भरपूर लोक नृत्य राउफ प्रस्तुत किया गया। इसके बाद फकीरा खां भादरेश ने ''धरती धोरा री....'' की प्रस्तुति दी। भुट्टे खां की डेजर्ट सिम्फनी प्रस्तुति पर दर्शक झूमते दिखे। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र गुजरात के दल द्वारा राठवा लोकनृत्य की भव्य प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव की हास्य फुलझड़ियां रहीं। बाद में मामे खान ने म्यूजिकल बैंड से शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अन्त में रंगारंग आतिशबाजी ने सभी का मन मोह लिया तथा स्वर्णिम धोरे आतिशबाजी की चमक में खिल उठे।

अमिट छाप छोड़ गया राजस्थान उत्सव

देश की राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासक बीकानेर हाउस में आयोजित आठ दिवसीय राजस्थान उत्सव राष्ट्रीय राजधानी में बसे राजस्थानियों और देश–विदेश के सैलानियों के दिलों पर राजस्थानी कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और खानपान की अमिट छाप छोड़ गया।

राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 24 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक आयोजित इस उत्सव में आवासीय आयुक्त, राजस्थान फाउंडेशन, रूडा और राजस्थान पर्यटन विभाग की भागीदारी

गोपेंद्र नाथ भट्ट
अतिरिक्त निदेशक से.नि.

रही । उत्सव के दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने विशेष रूप से शिरकत की। इसके अलावा मॉरीशस की एंबेसडर कई देशों के प्रतिनिधियों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदि ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की।

राजस्थान उत्सव के दौरान विंटेज कार रैली, राजस्थानी हाट बाजार, जैसे आयोजन किए गए। बीकानेर हाउस के चांदनी बाग में प्रतिदिन सायं रौनक–ए–शाम कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकारों ने भिन्न–भिन्न शैली में गजल, सूफी, क्लासिकल गायन की प्रस्तुतियां दीं। प्रसिद्ध कहानीकारों एवं दास्तांनगो ने विशिष्ट शैली में कहानियों की व्याख्या की। सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के जाने–माने लोक कलाकारों ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। उत्सव के बाद इंडिया स्टाइल फैशन वीक का आयोजन अंतरराष्ट्रीय फैशन डिजाइनर रूमा देवी कलेक्शन के साथ हुआ।

मनरेगा में वृक्षारोपण कार्य

वोराराम
जिला आईईसी समन्वयक नरेगा, जोधपुर

महात्मा गांधी नरेगा योजना से जहां लोगों को रोजगार मिलने से गांवों से पलायन की समस्या से राहत मिली वहीं इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार कार्य भी किया गया है। जिले की लोहावट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लोहावट विश्नावास में नवीन पंचायत भवन में वृक्षारोपण का कार्य राज्यव्यापी वृहद एवं व्यवस्थित वृक्षारोपण अभियान के तहत करवाया गया। पंचायत में वृक्षों की कम संख्या को देखते हुए ग्राम पंचायत ने पौधारोपण कार्य की स्वीकृति जारी की।

ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत इस कार्य का प्रस्ताव लिया गया जिसके लिये 02.00 लाख रू. की स्वीकृति जारी की गई। स्वीकृति मिलते ही ग्रामीणों ने दिल खोलकर कार्य किया। ग्राम पंचायत द्वारा क्रय किये गये विभिन्न प्रजाति के पौधे जिसमें नीम खारी बादाम, अशोक, गुलमोहर, एलेस्ट्रोनिया, बरगद, पीपल, गुलाब, पुष्पवृक्षावली के पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण कार्य की सफलता स्थानीय ग्रामीणों के चेहरे अपने आप बयां हो रही है।

सभी छाया चित्र : वोराराम

वृक्षारोपण कार्य पर 30 हजार रूपये खर्च हुए है। इस वृक्षारोपण कार्य हो जाने से क्षेत्रवासियों के लिए दोहरा फायदा हुआ। ग्रामवासियों का सरकारी परिसम्पत्तियों के प्रति लगाव एवं पौधो के प्रति अपनेपन की भावना जागृत हुई है। साथ ही पौधो की सुरक्षा हेतु बाड़बंदी एवं सुरक्षा का दायित्व भी ग्रामवासियों ने ही संभाल लिया है।

धर्म तालाब व श्मशान घाट का बदला स्वरूप, मॉडल के रूप में हुए विकसित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत भीलवाडा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया गया है। जिले के खेल मैदान, नर्सरी विकास, केटल शेड के अलावा तालाबो व श्मशान घाटो का भी विकास हुआ है।

भीलवाडा उदयपुर राजमार्ग पर स्थित पंचायत समिति सहाडा की ग्राम पंचायत भूणास का तालाब धर्म तलाई के नाम से जाना जाता है। कई वर्षो से इसके नाम की सार्थकता पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ था और यह ग्रामीणों व मवेशियों की प्यास बुझाने में अक्षम था।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत चारों तरफ पाल का विस्तार व गहरीकरण का कार्य एवं अलग-अलग घाट का निर्माण किया गया जिससे वर्षा के जल से इसका रूप निखर गया । मनरेगा में सौन्दर्यीकरण को देखकर लोग भी हर्षित और आकर्षित हुए व आये दिन पाल के ऊपर ग्रामीण उत्सव मनाने लगे हैं। महीनों सूखा रहने वाला यह तालाब अब पानी से लबालब रहने लगा है। मनरेगा के तहत कुल 14.96 लाख की राशि से यह तालाब जिले में मॉड्ल के रूप में विकसित हुआ।

बदले वक्त में डाकिए की बदलती भूमिका

डाक ही नहीं, आर्थिक सम्बलन भी पहुंचाते हैं डाकिए

प्रियंका गुप्ता(IPoS)
प्रवर अधीक्षक, डाकघर, जयपुर नगर मंडल

"चिट्ठी आई है, आई है।'' जब इस गाने के बोल हमारे कानों में पड़ते हैं तो सबसे पहले यही विचार मन में आता है कि अब इस संचार क्रान्ति के युग में पहले जैसे हमें न तो चिट्ठी का इंतजार रहता है और न ही चिट्ठी लाने वाले डाकिए या ग्रामीण डाक सेवक का। इंटरनेट क्रान्ति से पहले हमारे पास अपनों से संवाद कायम करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम पत्र, चिट्ठी, पोस्टकार्ड आदि थे। और इन्हें हम तक पहुंचाते थे हमारे डाकिए। डाकिए का उसकी बीट में शामिल हर घर से एक प्यारा सा रिश्ता बना हुआ था। बनता भी क्यों नहीं, उस घर की हर खुशी, गम में डाकिया उन पत्रों के माध्यम से शामिल होता था। जो पत्र खुशी या गम के संदश लाते थे, वक्त बदला हालात बदले। डाकिया तो आज भी डाक वितरित कर रहे हैं, लेकिन आज ज्यादातर डाक बीमा कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि की औपचारिक डाक होती है।

वर्तमान में डाकिया केवल डाक ही वितरित नहीं कर रहा है बल्कि समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली, जीवन प्रमाण पत्र, डोर स्टेप बैंकिंग, यूटिलिटी बिल्स का भुगतान, आधार कार्ड मे मोबाइल नम्बर और ई-मेल अपडेट, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार निर्माण, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना आदि कई महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी सेवाएं भी डाकिया उपलब्ध करवा रहा है वह भी आमजन के घर तक। आमजन अपने क्षेत्र के डाकिए या ग्रामीण डाक सेवक की मदद से घर बैठे अपने खाते से रुपये प्राप्त कर सकते हैं। आमजन को न तो बैंक जाने की आवश्यकता है और न ही एटीएम सिर्फ खाता सम्बन्धित आधार से लिंक होना चाहिए। इस तरह अधिकतम 10000 रुपये तक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर किसी के पास कोई खाता नहीं है तब डाकिया घर आकर भी खाता खोल सकता है। खाता खुलवाने के लिए केवल आधार नम्बर चाहिए। इस खाते में रुपये जमा भी हो सकते हैं। रुपए निकाले भी जा सकते हैं तथा एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी उपलब्ध है।

अगर किसी को अपने आधार में अपना मोबाइल नम्बर और ईमेल में कुछ बदलाव करना है तो उसके लिए किसी भी आधार केन्द्र में जाने की जरूरत नहीं है। डाक सेवक घर बैठे अपडेट कर देंगे। साथ ही 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आधार भी बना देंगे।

इतना ही नही वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं। समय के साथ डाक सेवक तकनीकी का इस्तेमाल करके अपनी सेवाएं और अधिक प्रभावी ढंग से उपलब्ध करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी तक बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं पहुंच नहीं पायी हैं, वहां डाक सेवक और डाकिए वित्तीय सेवाएं आमजन के घर तक पहुंचा रहे हैं। डाकिया अब केवल डाक ही नहीं लाते, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की बुनियाद बनाते हैं।

समाज सुधारक युगपुरुष थे
महात्मा ज्योतिबा

प्रकाश चंद्र शर्मा | **देवी सिंह सैनी**
स्वतंत्र पत्रकार | ए.ए.ओ.(से.नि.)

महात्मा ज्यातिबा फुले जयन्ती पर श्रद्धासुमन अर्पित करते मुख्यमंत्री

महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रेल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमणाबाई तथा पिता का नाम गोविन्दराव था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे इसलिए उनकी पीढ़ी फुले के नाम से जानी जाती थी। ज्योतिबा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था।

तब महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन जोरों पर था। जाति-प्रथा का विरोध करने और एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए 'प्रार्थना समाज' की स्थापना की गई थी जिसके प्रमुख गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर थे। उस समय महाराष्ट्र में जाति-प्रथा बड़ी ही गहराई से फैली हुई थी। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे, ऐसे में ज्योतिबा फुले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया था। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला।

इन प्रमुख सुधार आंदोलनों के अतिरिक्त हर क्षेत्र में छोटे-छोटे आंदोलन जारी थे जिसने सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किया था। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई, जो आजादी की लड़ाई में उनके संबल बने।

इस महान समाजसेवी ने अछूतोद्धार के लिए सत्यशोधक समाज स्थापित किया था। उनका यह भाव देखकर 1888 में उन्हें ''महात्मा'' की उपाधि दी गई थी।

उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किये। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था।

लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। कई लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिए।

पेशवाई के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हुये बदलाव केकारण सन 1840 के बाद का स्वरूप आया। तत्कालीन समाज की रूढियों, परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधारक आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बालविवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। फुले ने माना कि वर्ण संस्था और जाती संस्था शोषण की व्यवस्था है और जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होती तब तक एक समाज की निर्मिती असंभव है। ऐसी भूमिका लेनेवाले वो पहले भारतीय थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई।

मूसी महारानी की छतरी

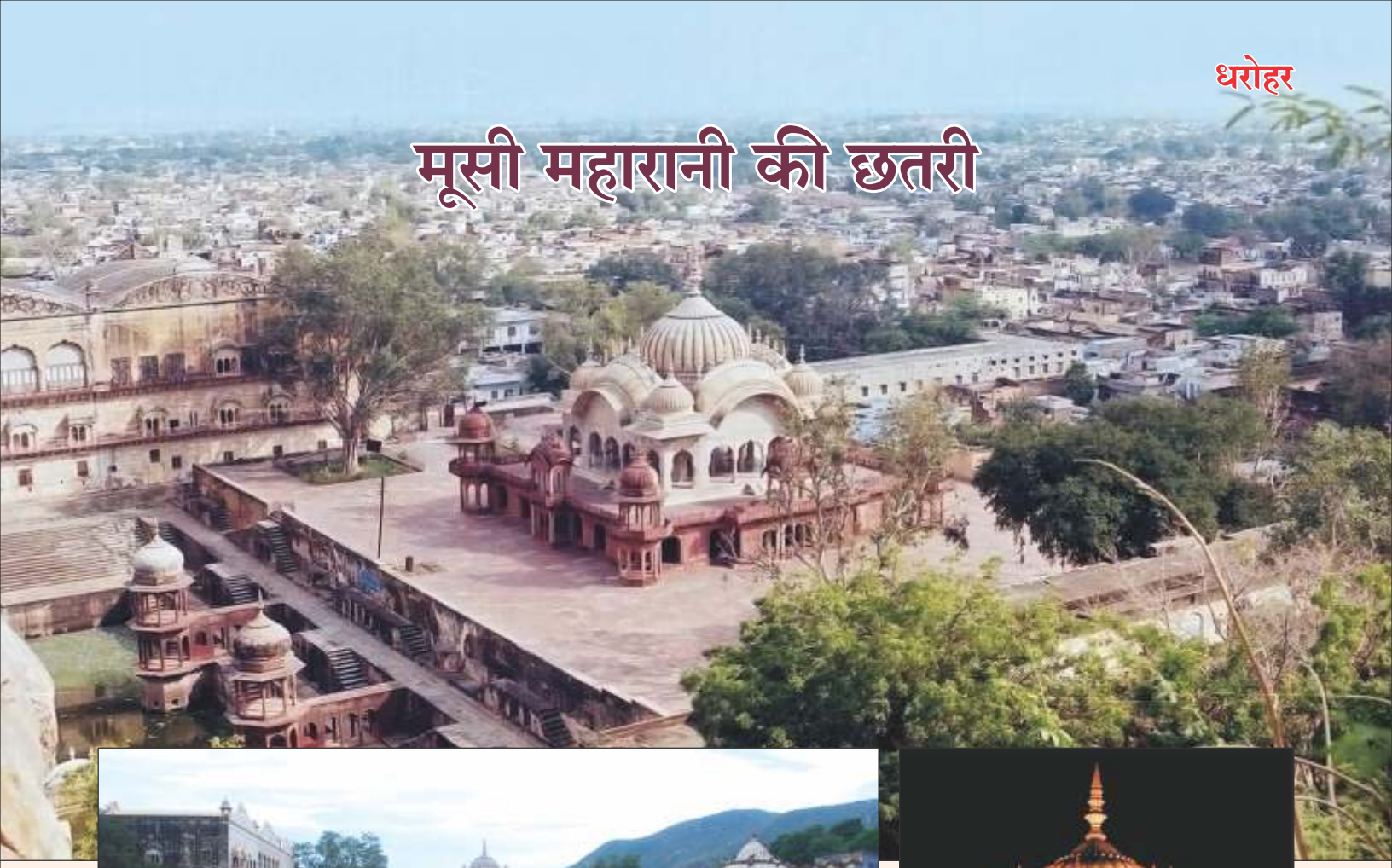

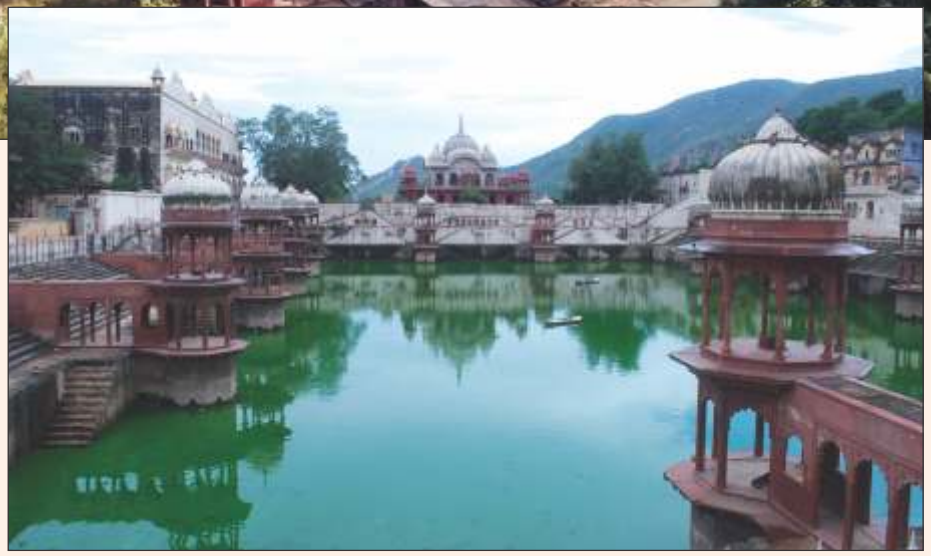

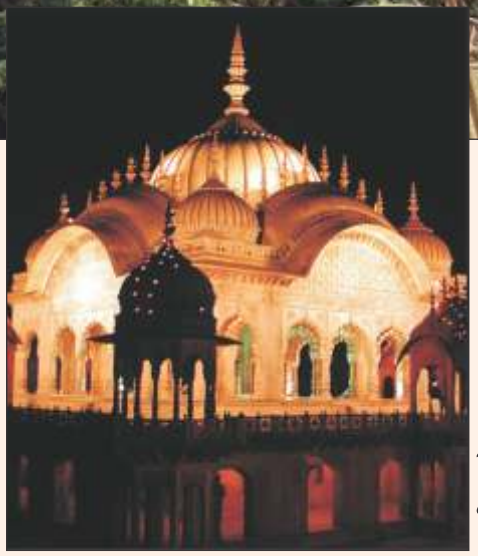

छायाचित्र: मनोज कुमार

राजस्थान के सिंहद्वार अलवर शहर में सिटी पैलेस के ठीक पीछे अरावली की तलहटी में सागर जलाशय के पास 80 खम्भों पर मूसी महारानी की छतरी स्थित है। इस भव्य छतरी का निर्माण सन् 1815-41 में महाराजा विनय सिंह ने महाराजा बख्तावर सिंह (1790-1815) और मूसी महारानी की स्मृति में करवाया था।

करौली के बलुआ लाल पत्थर से निर्मित 89 वर्गमीटर धरात के मुख्य स्मारक में चारों ओर बरामदा है और इधर-उधर कोठरियां तथा ऊपर संगमरमर से बनी छतरी में 12 विशाल स्तम्भ व 27 अन्य स्तम्भ हैं। बीचों-बीच चार पादुका वाली सुन्दर वेदी है। छतरी में महाराजा बख्तावर सिंह का जुलूस, गजासुर कथा, भगवान श्रीकृष्ण, श्री रामचन्द्र, लक्ष्मणजी, सीता माता एवं पशु-पक्षियों के चित्र बने हैं। सांस्कृतिक आयोजन एवं फिल्म शूटिंग के लिए इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बजट 2022-23 में इस ऐतिहासिक धरोहर को विकसित किये जाने की राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है।

मनोज कुमार
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, अलवर

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2020-22
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

तस्वीर बदलाव की

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक–श्रीमती अलका सक्सेना, मै.कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60 लागत मूल्य 30.56 रुपए • 5,00,000 प्रतियां